

Old letters & Maps

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 3170-71/17

दिनांक 19/05/17

मुख्यमंत्री जन आवास योजना

भवन निर्माण अनुमति पत्र

श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह
सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह
अतुल कुमार पुत्र श्री दलेल सिंह
निवासी अटेरना तह0 व जिला सोनीपत हरि0

विषय :- श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह निवासी अपार्टमेन्ट 002, टावर 20 विपुल ग्रीन्स सैक्टर 48 सोहना रोड गुडगावां हरि0, सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह निवासी 113/18 खन्ना माजरा पोस्ट बकनोर जिला अम्बाला हरि0, अतुल कुमार पुत्र श्री दलेल सिंह निवासी अटेरना तह0 व जिला सोनीपत हरि0 द्वारा ग्राम कोलीलासांगा तह0 नीमराणा जिला अलवर के खसरा नं0 67/833, 68 कुल किता 02 कुल रकबा 19497.25 वर्ग मी0 भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल 3ए के तहत LIG/EWS के भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 19.04.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक 19.04.2017 के क्रम में ग्राम न कोलीलासांगा तह0 नीमराणा जिला अलवर के खसरा नं0 67/833, 68 कुल किता 02 कुल रकबा 19497.25 वर्ग मी0 भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल 3ए के तहत आवासीय (गुप हाउसिंग) के भूखण्ड पर न्यास की मुख्यमंत्री जन आवास योजना की भवन मानचित्र समिति की 9वी बैठक दिनांक 29.04.2017 के एजेण्डा नं0 02 पर लिये गये निर्णय अनुसार भवन मानचित्र निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किए जाते हैं।

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, अधिकतम 4 वर्ष हेतु मान्य होगी।
02. परियोजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015 के तहत स्वीकृत की गई है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना के समस्त शर्तें/पैरामीटर आदि मान्य होंगे।
03. आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3ए के तहत मानचित्र प्रस्तुत किये हैं। अतः जन आवास योजना के प्रावधान 3ए के अन्तर्गत आने वाले समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक द्वारा सुनिश्चित करनी होगी।
04. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा यह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
05. भवन मानचित्र में दर्शाये अनुसार EWS/LIG फ्लेटों का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना व इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के तहत ही किया जावेगा।
06. आवासीय योजना 20000 वर्ग मी0 से अधिक निर्मित क्षेत्र का निर्माण पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही किया जावेगा। पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की समस्त शर्तें मान्य होगी।
07. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
08. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
09. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

10. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
11. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
12. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
15. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
16. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रैनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
17. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम 2013 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
18. पार्किंग का प्रावधान ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम, 2013 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार पार्किंग क्षेत्र पार्किंग हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
19. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
20. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी0 रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
21. भूखण्ड में नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा।
22. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरीक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
23. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
24. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
25. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
26. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाईन्स की पालना विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
27. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

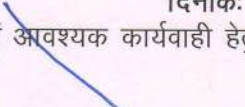

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

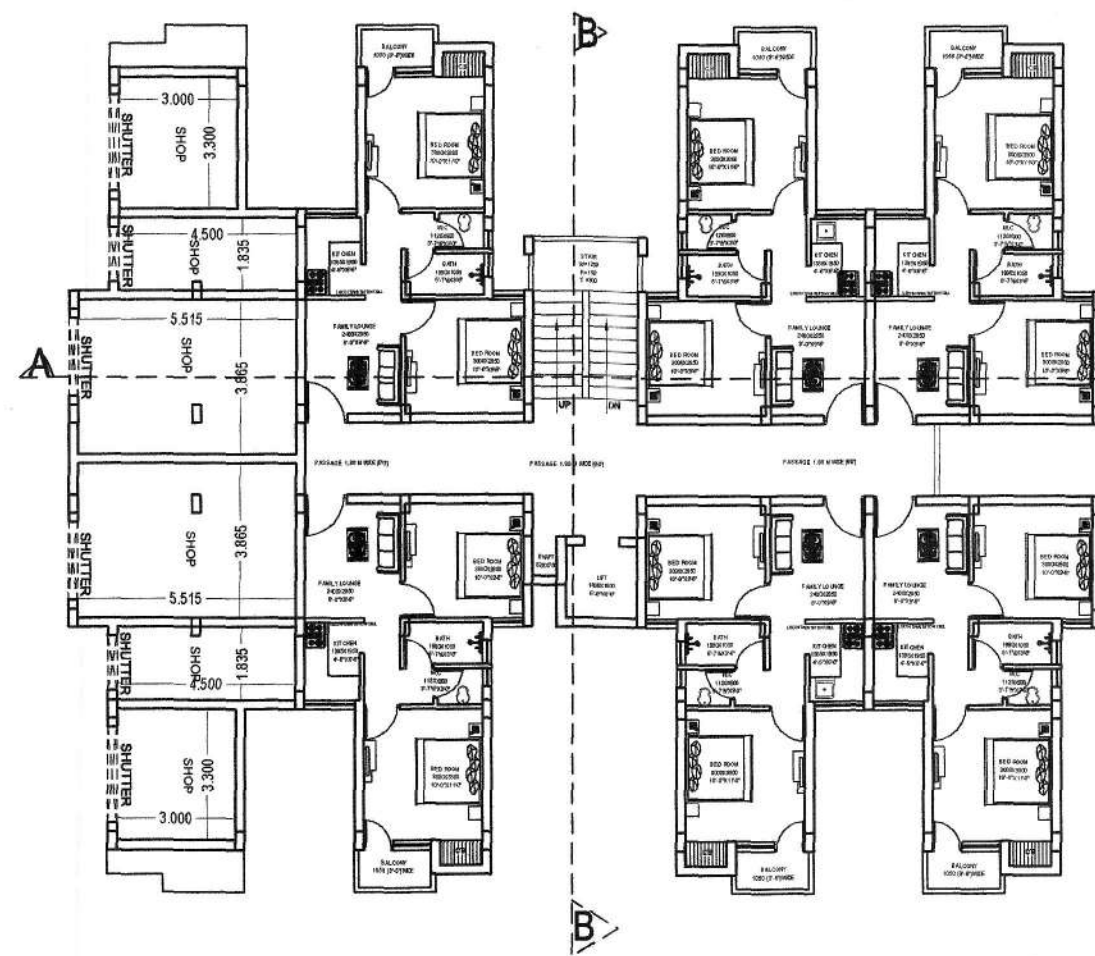
संलग्न:- भवन मानचित्र (1 to 3)

क्रमांक: आयोजना/

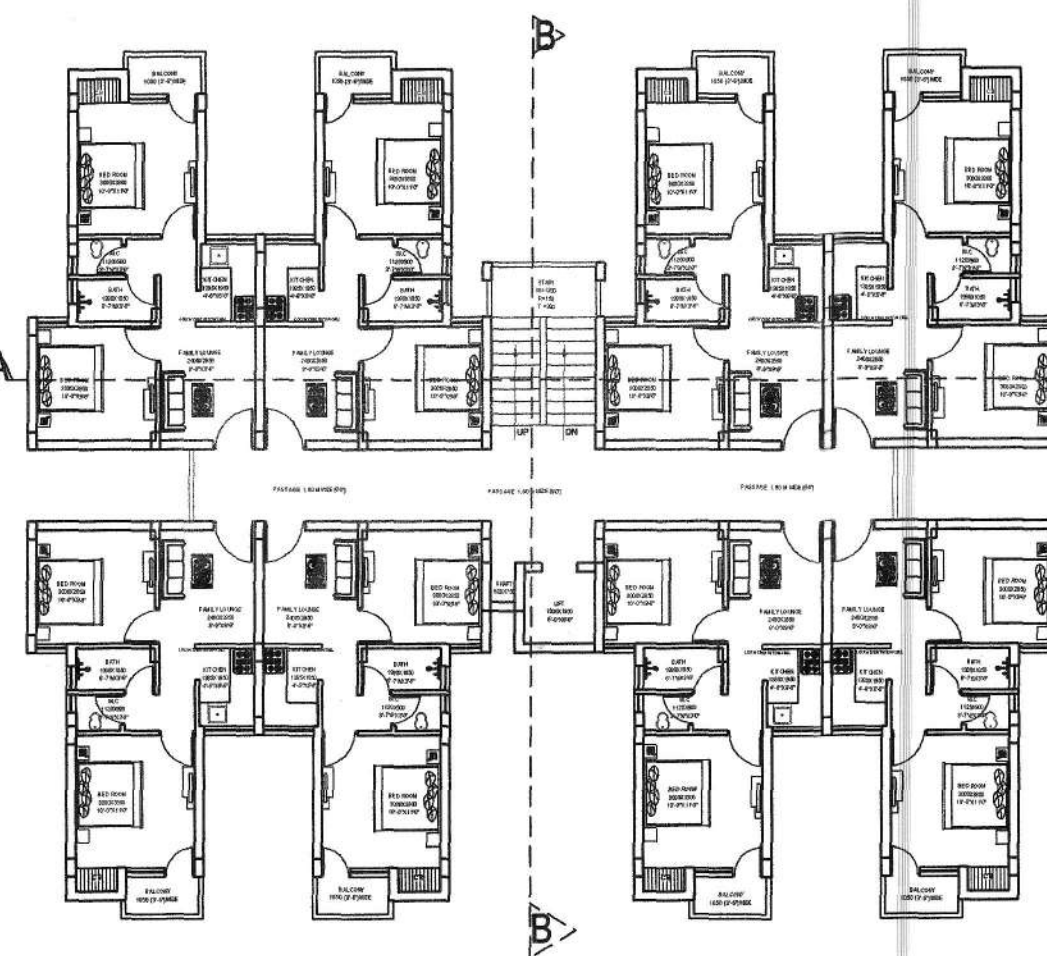
प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक:

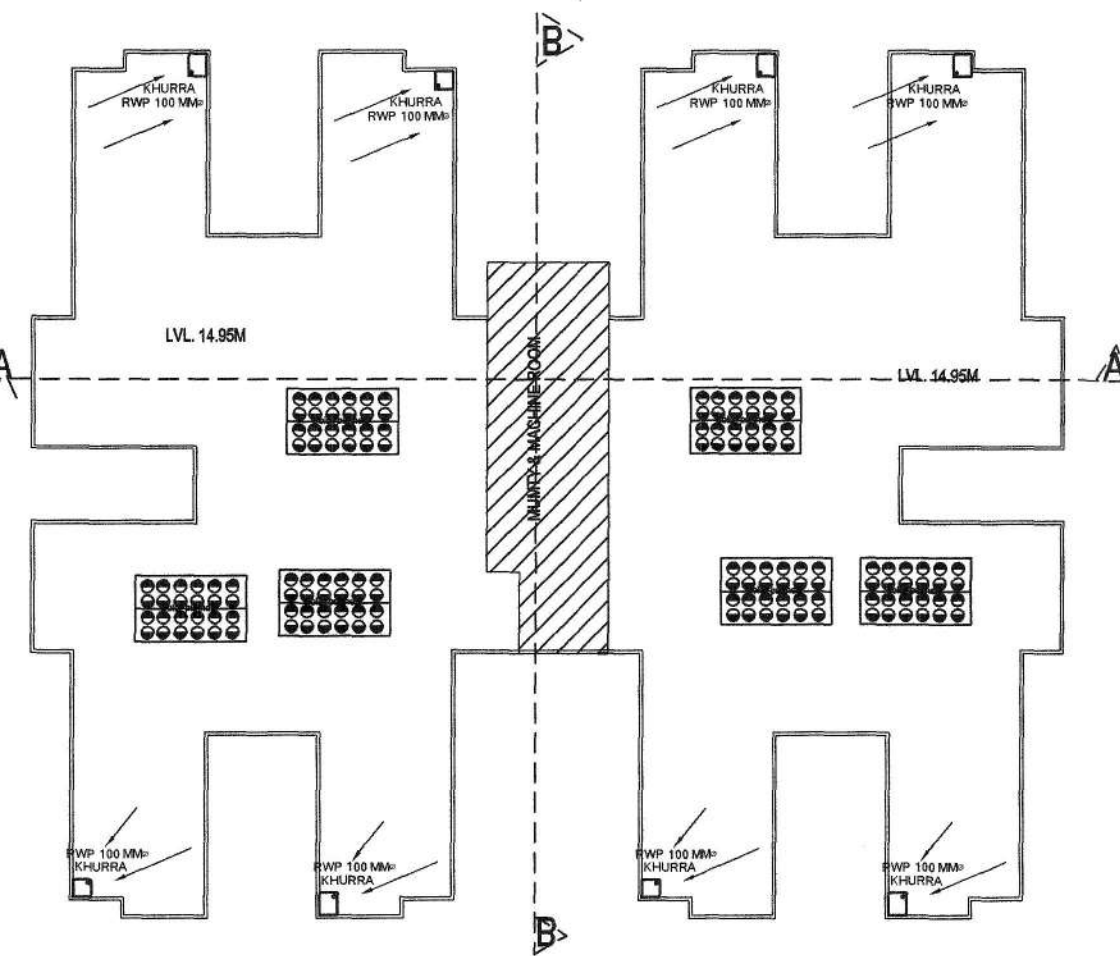

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी



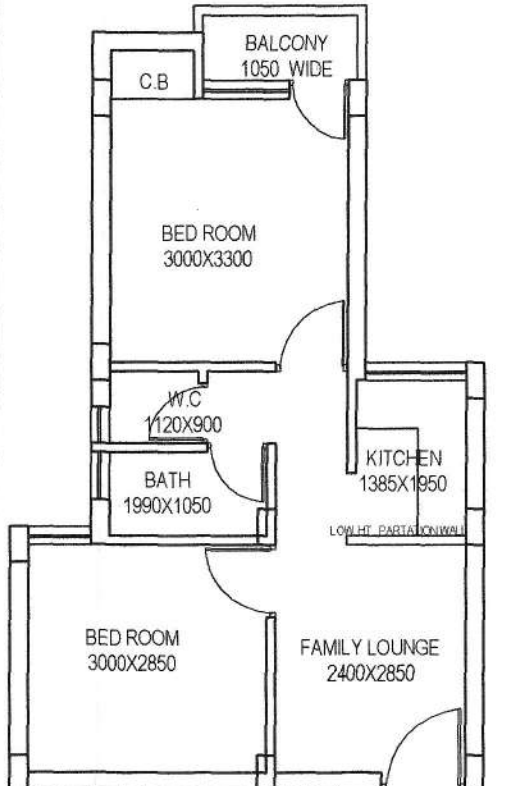
BLOCK - L 01 & 14
GROUND FLOOR PLAN



BLOCK - L 01 & 14
FIRST TO 4TH FLOOR PLAN



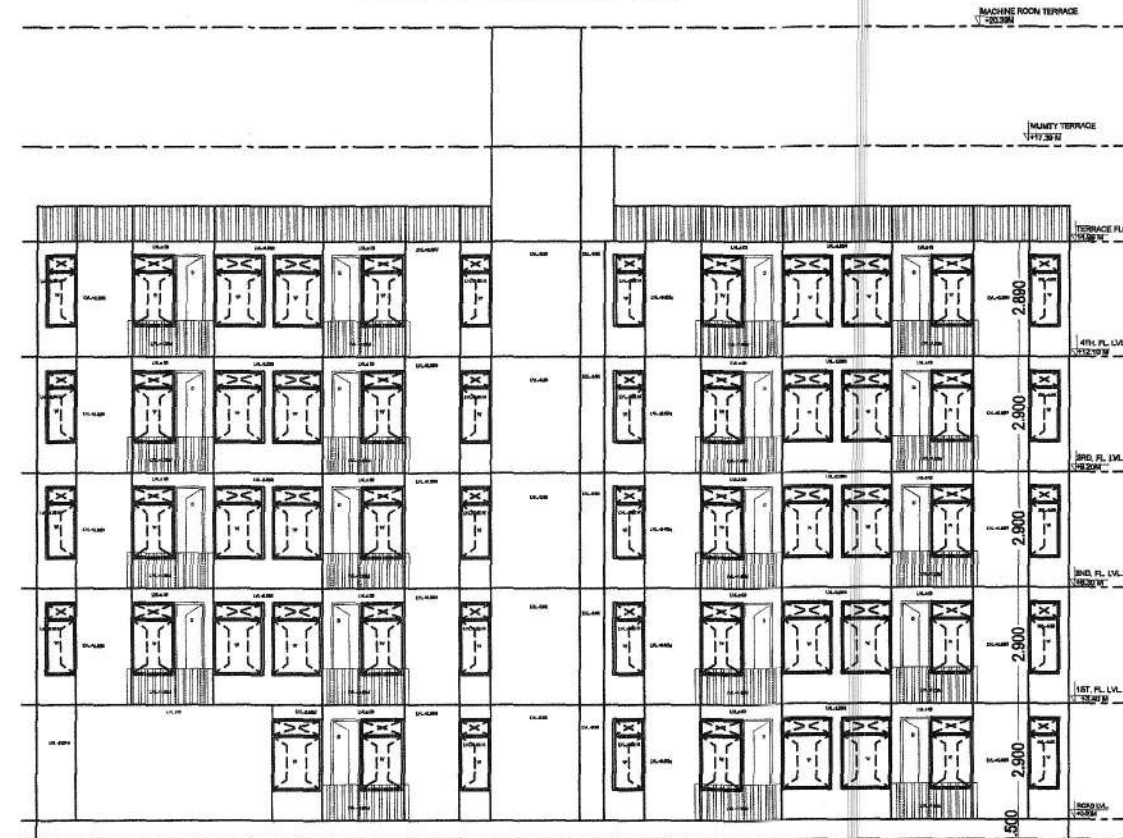
BLOCK - L 01 & 14
TERRACE PLAN



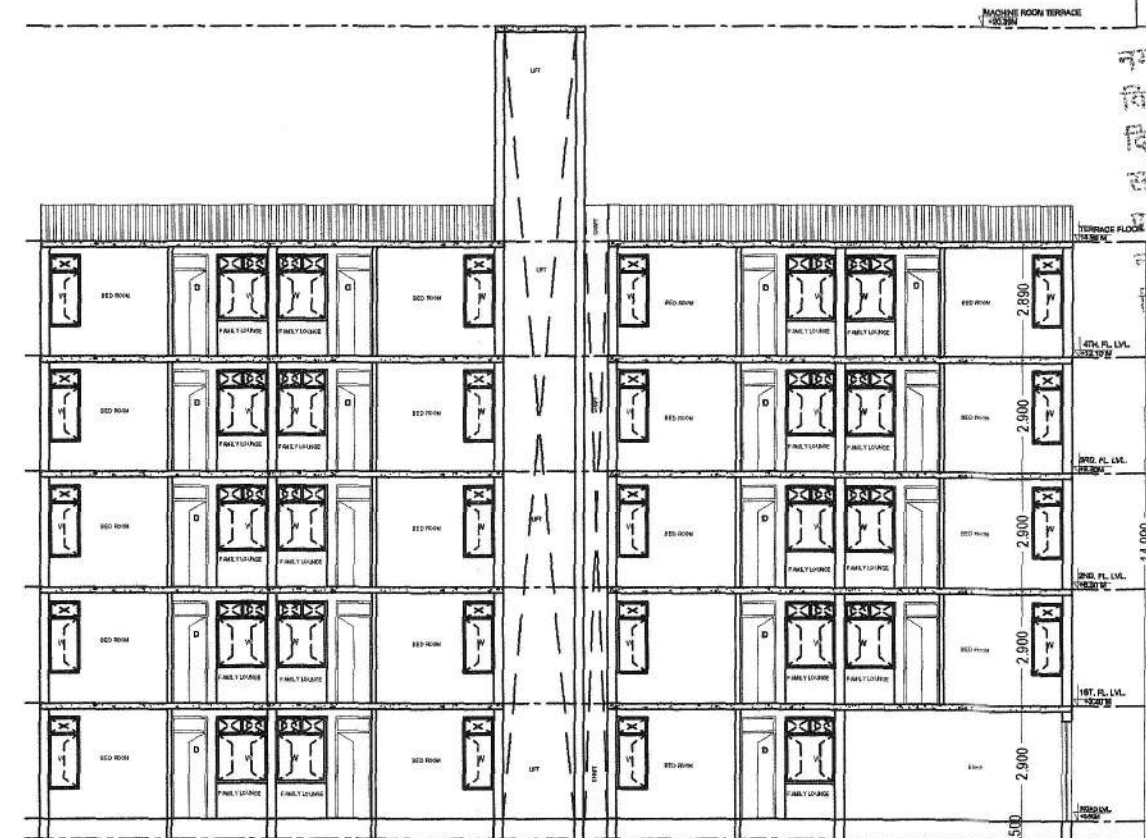
CARPET AREA = 34.87 SQM. = 375.23 SQ.FT.
BUILTUP AREA = 44.62 SQM. = 480.16 SQ.FT.
SUPER BUILTUP AREA = 51.13 SQM. = 550.17 SQ.FT.



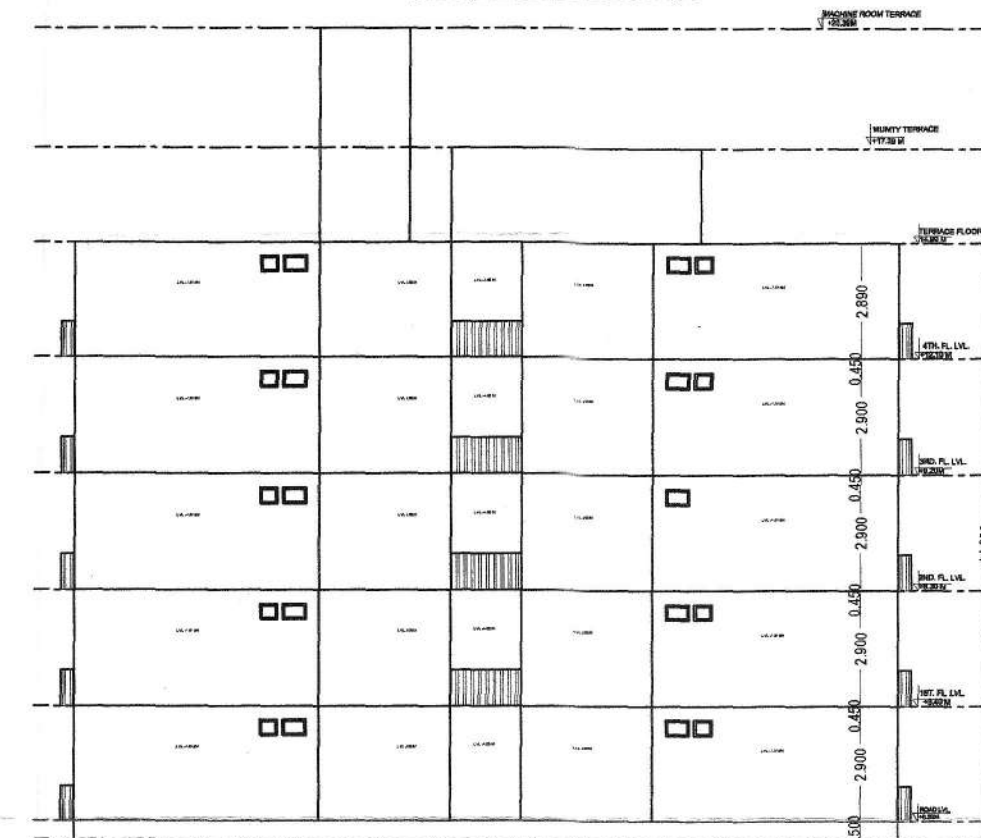
FRONT SIDE ELEVATION



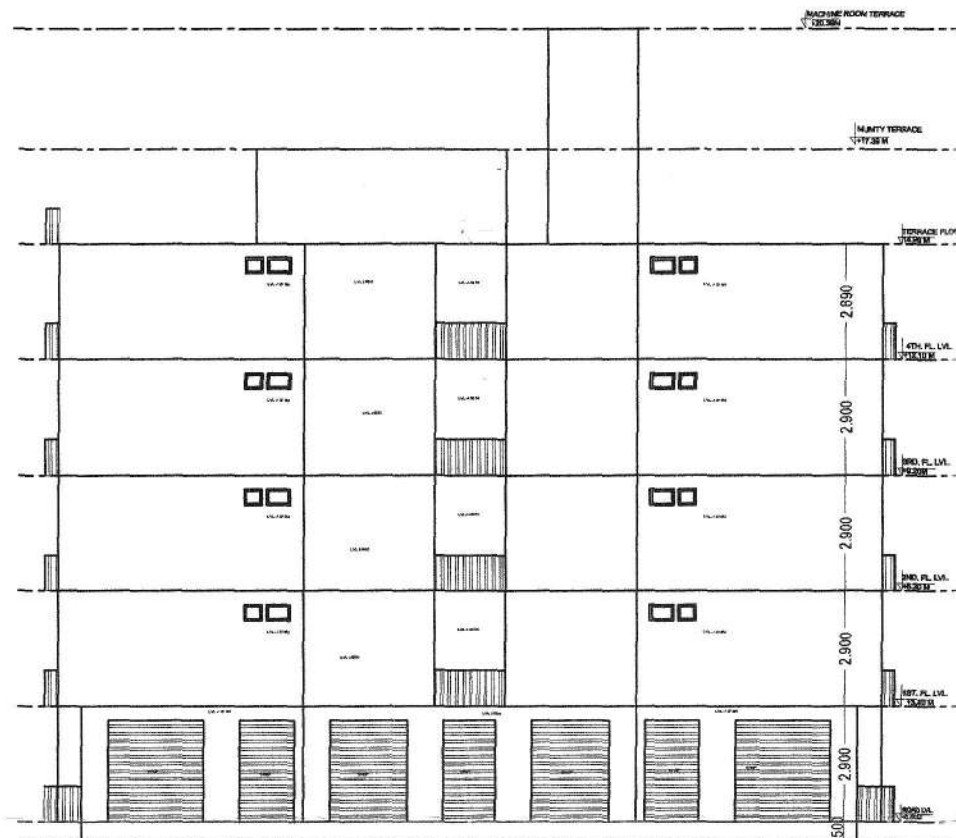
REAR SIDE ELEVATION



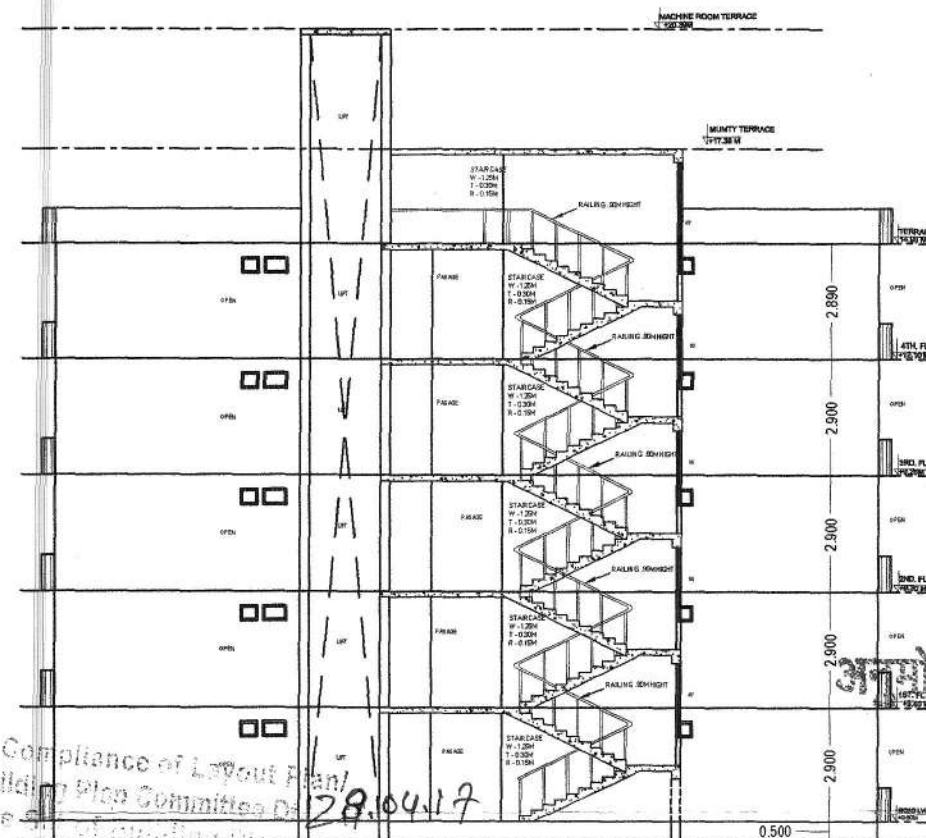
SECTION, A-A



LIFT SIDE ELEVATION



RIGHT SIDE ELEVATION



In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee D-1
One of the following items
Approved is Issued Along With
Letter No. 3170-7/1/7
Date 19.5.17
Parking Area Will Be UTI's Property

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
आदि शान आदि सेवाओं में नेशनल सिटीज कोड
ऑफ इंग्लैंड के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विनियमों के प्रावधानों के
नुसार किया जाएगा।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

"जारी किये गये अनुमोदित भवन-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
द्वारा निर्देशों के अनुसार वर्गाजल
संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष
संयोजन रखा जाये अन्वया 40 दि०
कास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
निचयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के द्वारा
निर्देशों के अनुसार वर्गाजल संग्रहण
के विनियमों के अन्तर्गत वर्गाजल संग्रहण
भवन में निर्देशों के अनुसार रखा जाये
अन्वया 40 दि० कास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध निचयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशासनिक भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की फालना में राज्य सरकार के परिशिष्ट दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 2000 का संस्करण से अधिक
का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व "वर्गाजल संग्रहण
पत्र" अनामति प्राप्त पत्र अधिकार द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

SHEET NO :- 02

PROJECT :- PROPOSED BUILDING PLAN OF CH JAIN AWAS GROUP HOUSING PROJECT AT KHASRA NO-67833, BH VILLAGE - KOLLA SANGA, TEH. NEEMRANA, DISTT. ALWAR (RAJ.)		
DRAWING TITLE BLOCK - L 01 & 14 PLAN, ELEVATION & SECTION.		
DATE 13-04-2017	SCALE 1:100	NORTH
ARCHITECT CREATIVE STUDIO ARCHITECT INTERIOR LANDSCAPE DESIGNER AR. MANSINGH MEENA B-81, BEHIND UIT OFFICE, BHAGAT SINGH COLONY, BHIMADI, ALWAR, MO: 09460478315 EMAIL: m.mansingh1994@gmail.com creativestudiobhimadi@gmail.com		
ARCHITECT'S SIGNATURE 	OWNER'S SIGNATURE 	

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

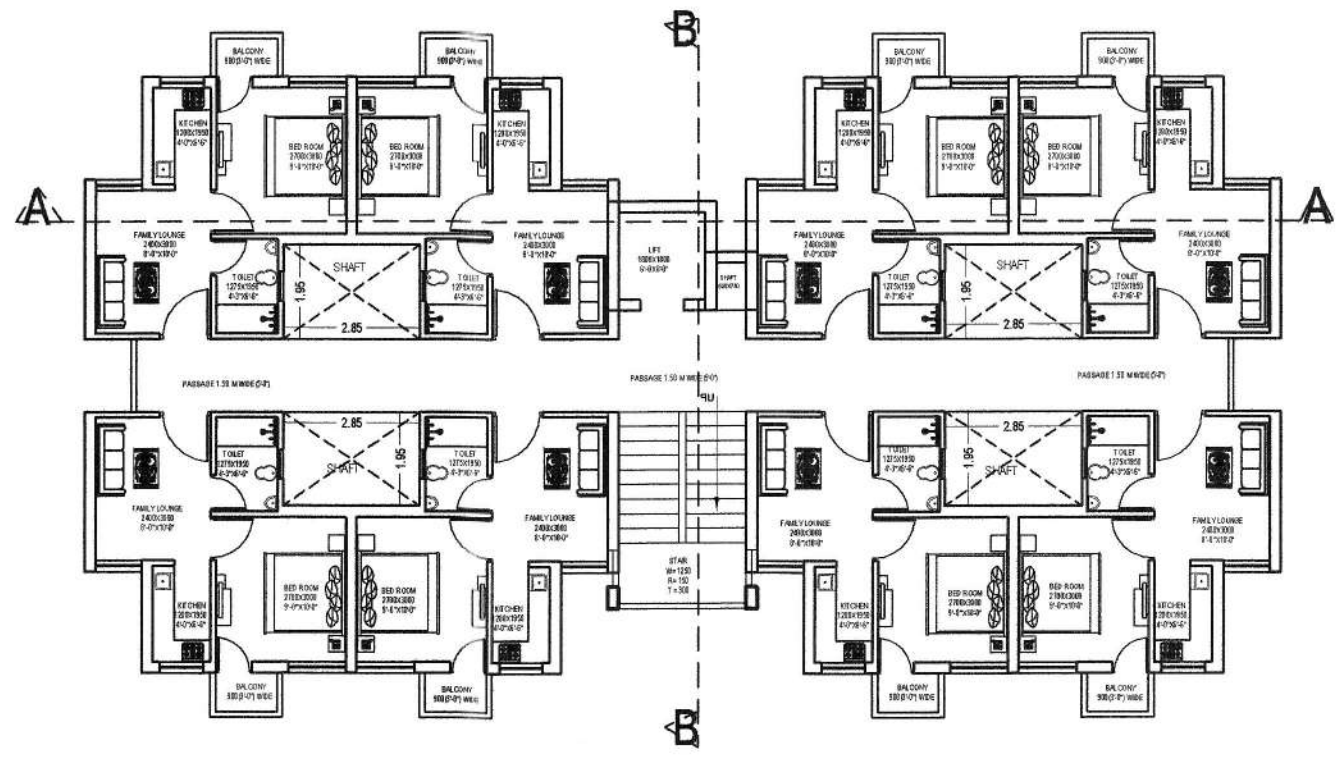
सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

नगर विकास न्यास, भिवाडी

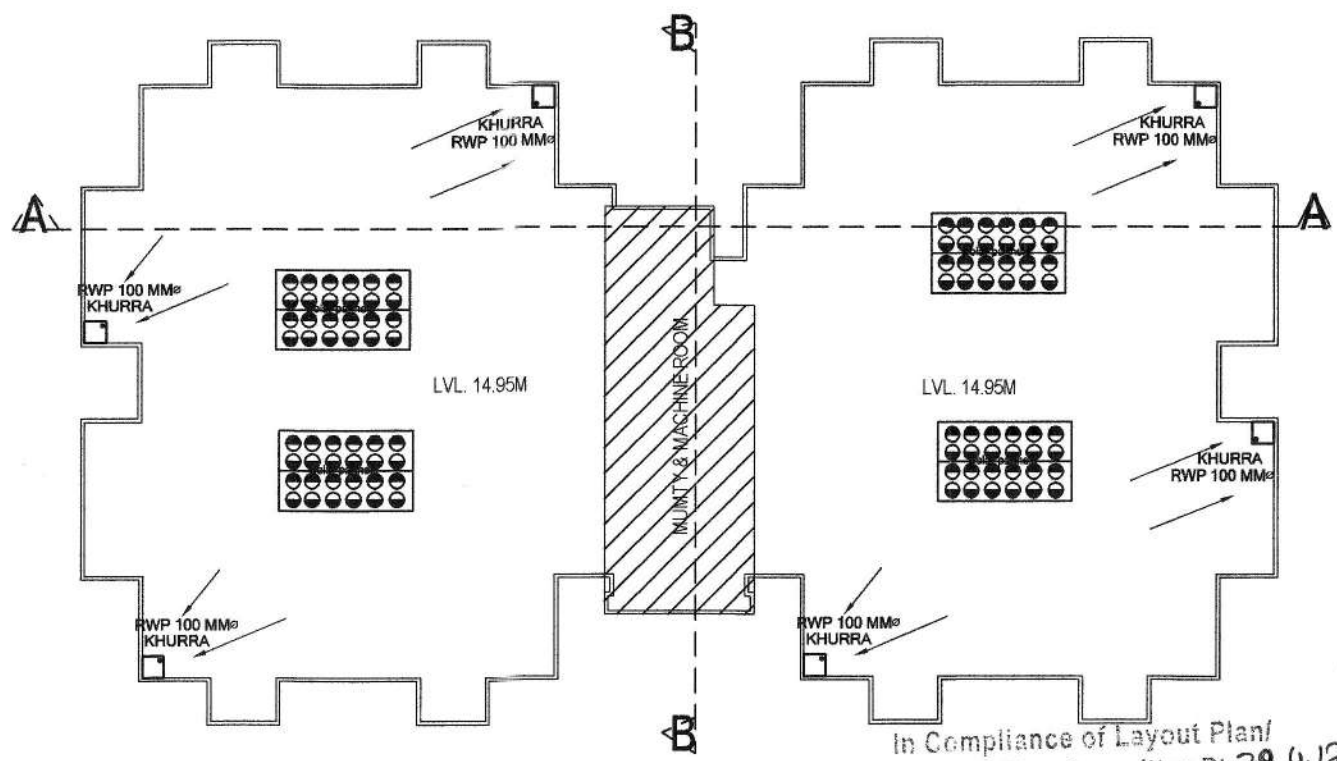
3170-7/1/7
Date 19.5.17
Parking Area Will Be UTI's Property

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी



BLOCK - E 01 & 02,04
GROUND TO 4th FLOOR PLAN



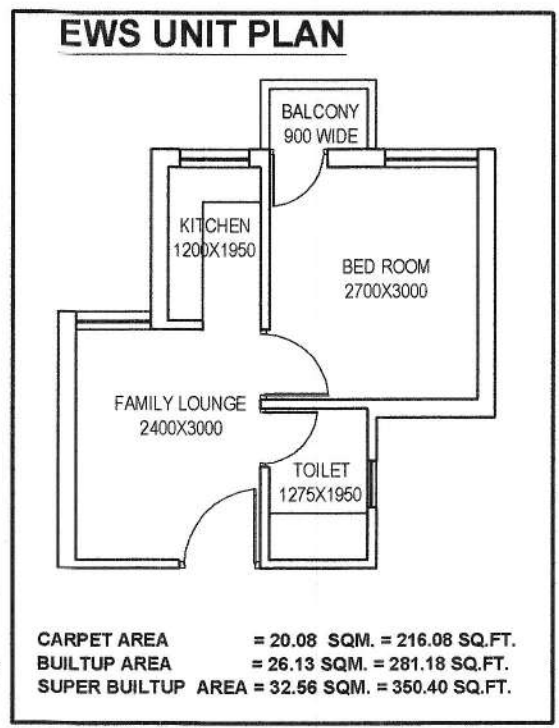
BLOCK - E 01 & 02,04
TERRACE PLAN

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 28.4.17
One Set of Building Plans
Approved is issued Along-With
Letter No. Dt. 19.05.17

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
अनुसार वर्जिल
अनुसार बनाये गये अन्वया नं० वि०
एन० १२ कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के द्वारा
नियमित रूप से
विलम्बित रूप से
अनुसार बनाये गये अन्वया नं० वि०
एन० १२ कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वास्थ्य
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।



CARPET AREA = 20.08 SQM. = 216.08 SQ.FT.
BUILTUP AREA = 26.13 SQM. = 281.18 SQ.FT.
SUPER BUILTUP AREA = 32.56 SQM. = 350.40 SQ.FT.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

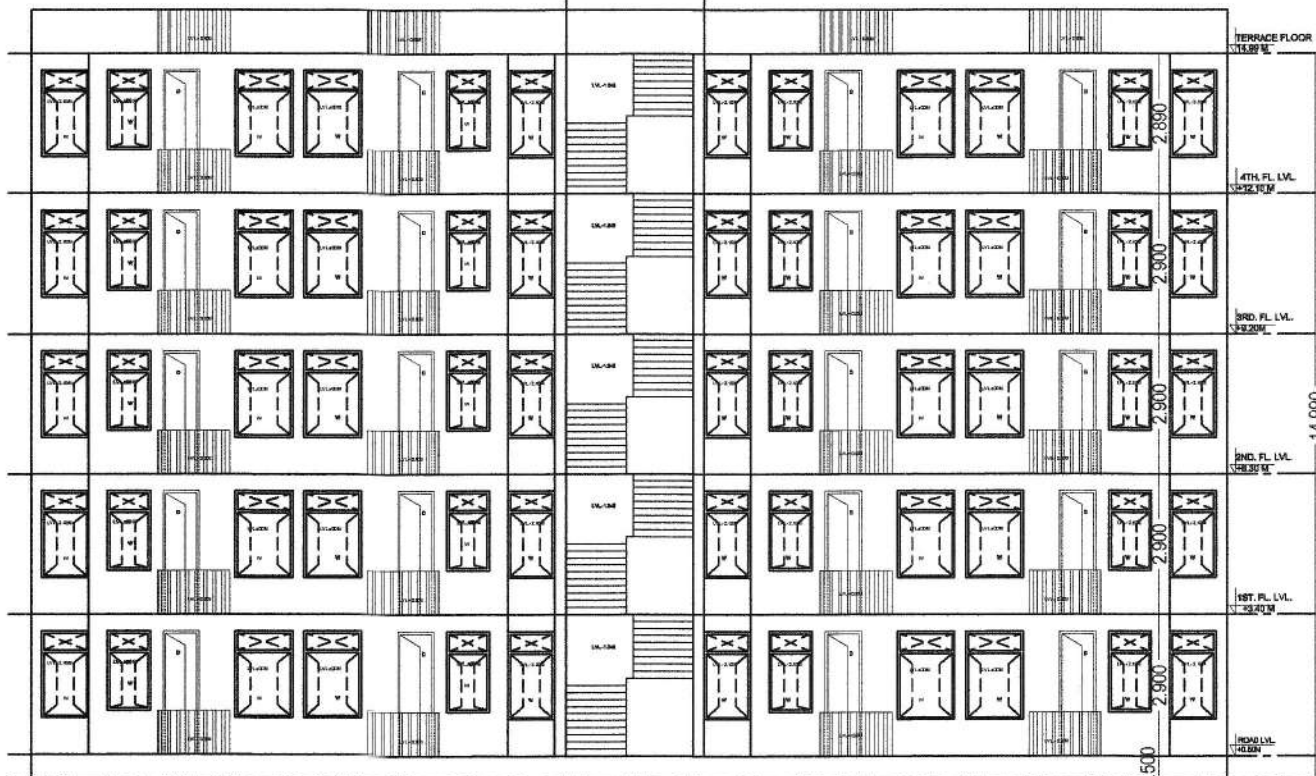
THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

शीर्ष ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

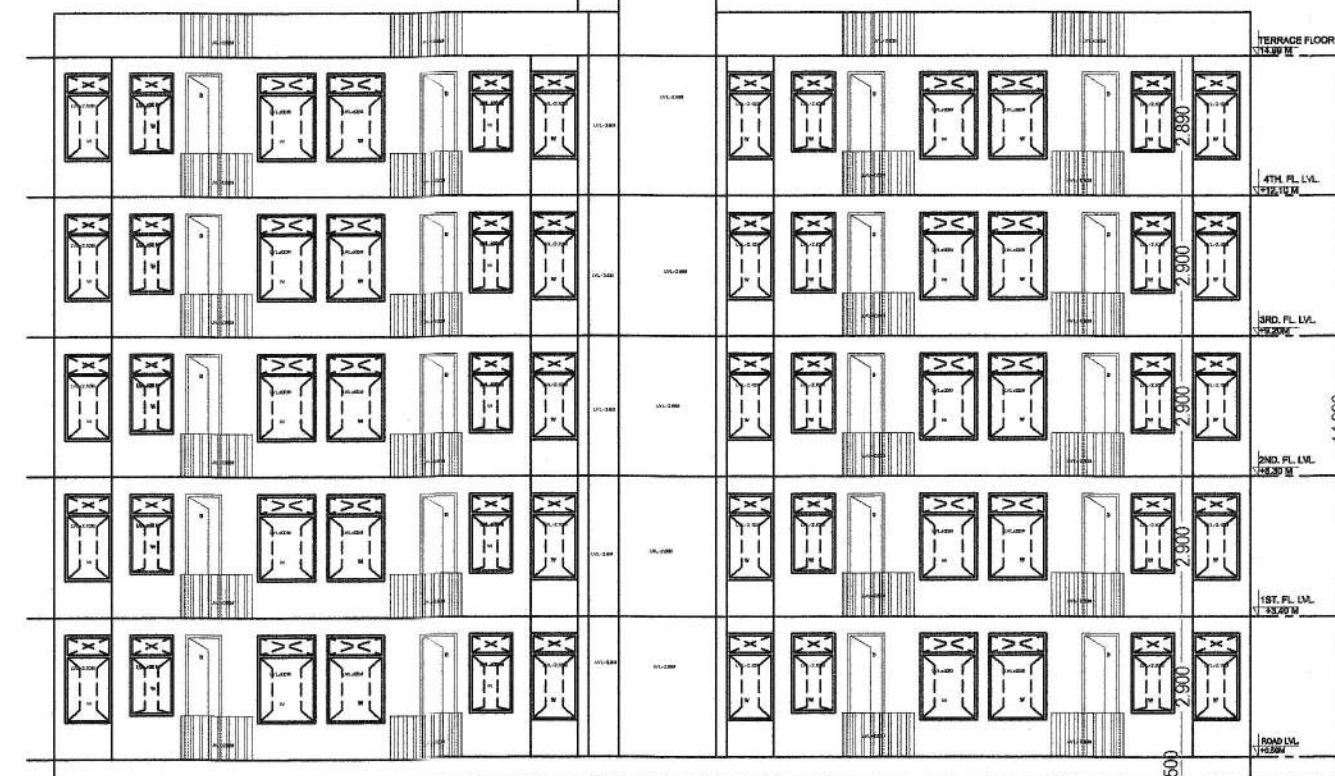
Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms

Parking Area Will Be UTI's Property

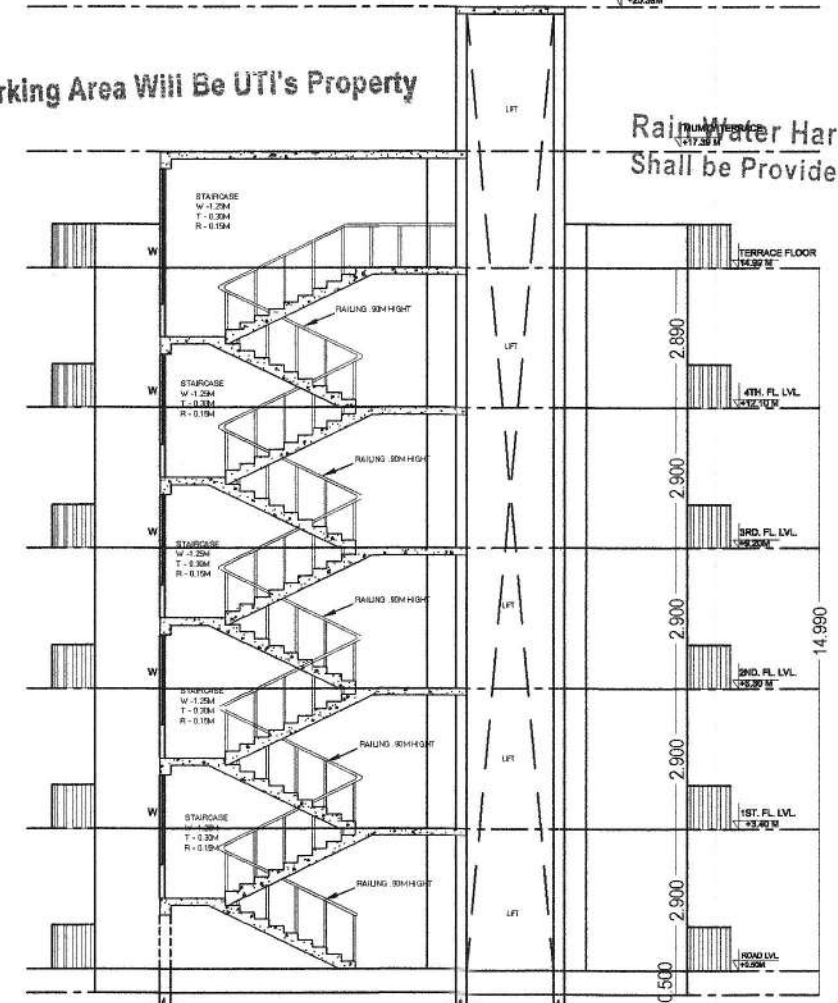
Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.



FRONT SIDE ELEVATION



REAR SIDE ELEVATION



SECTION, B-B

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की धारा 11 में राज्य सरकार के विनियम दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण
पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं जल, भूत, विकास
अभिन शान्त आदि सेवाओं के प्रावधानों/विवरणों को
आवधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सम्बन्धित किया जायेगा।

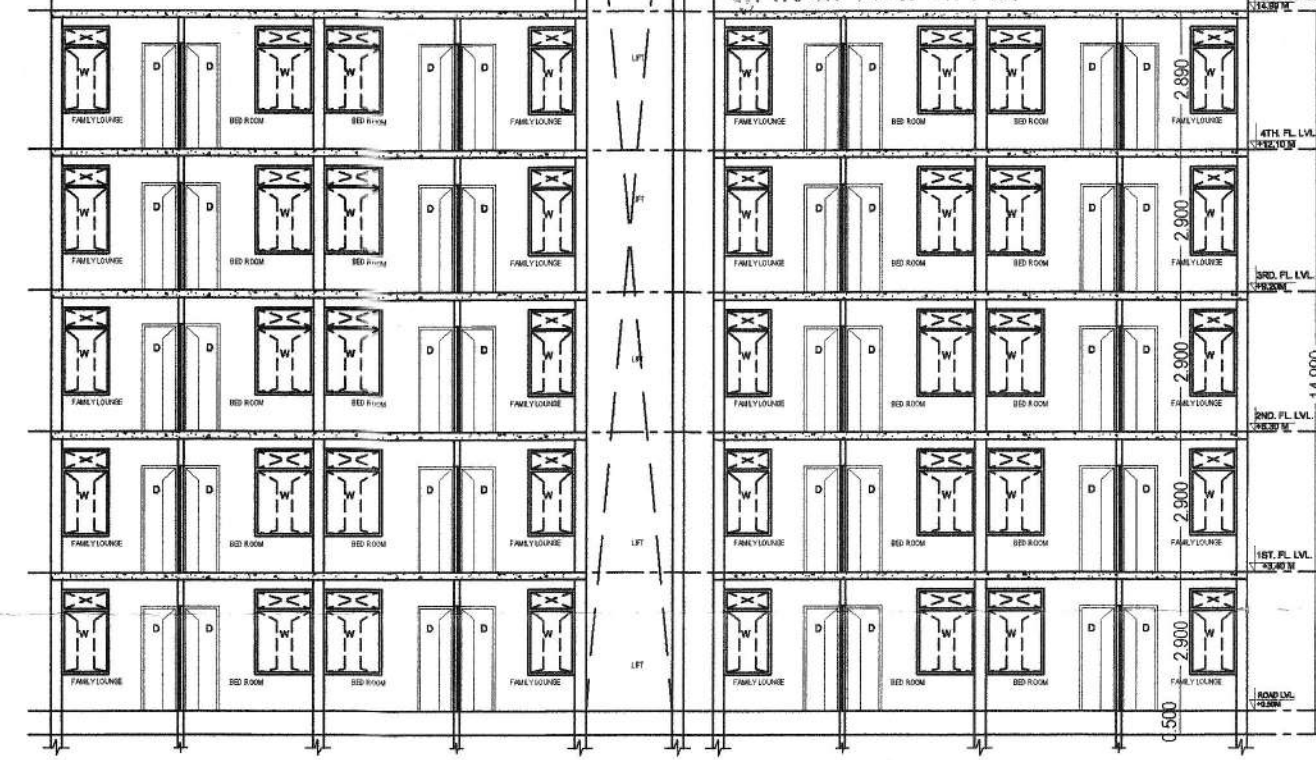
Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्राप्ति का है होगा।"

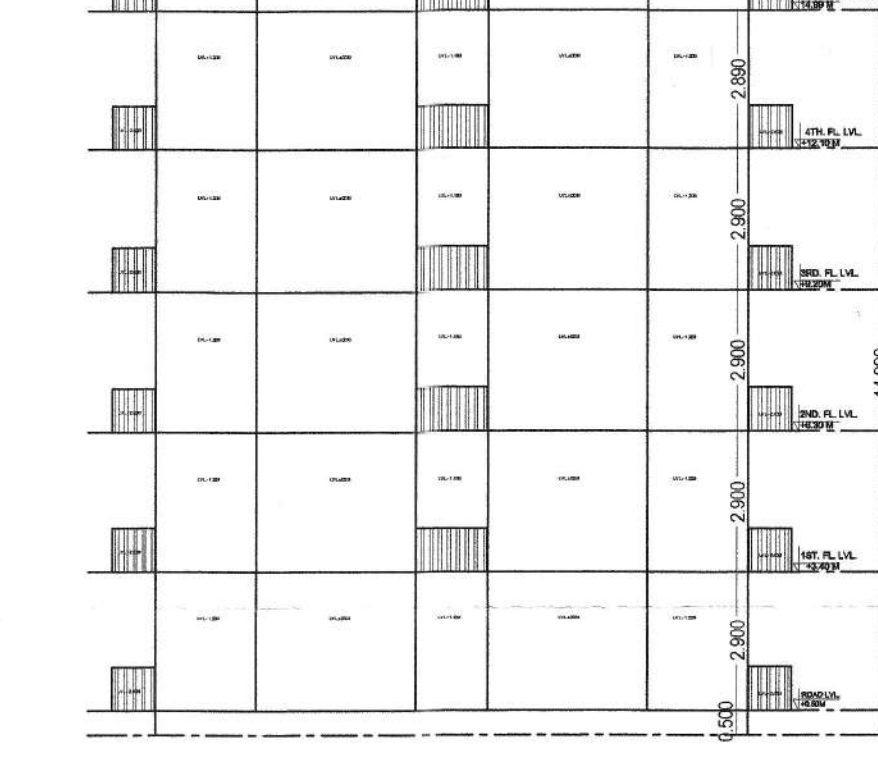
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

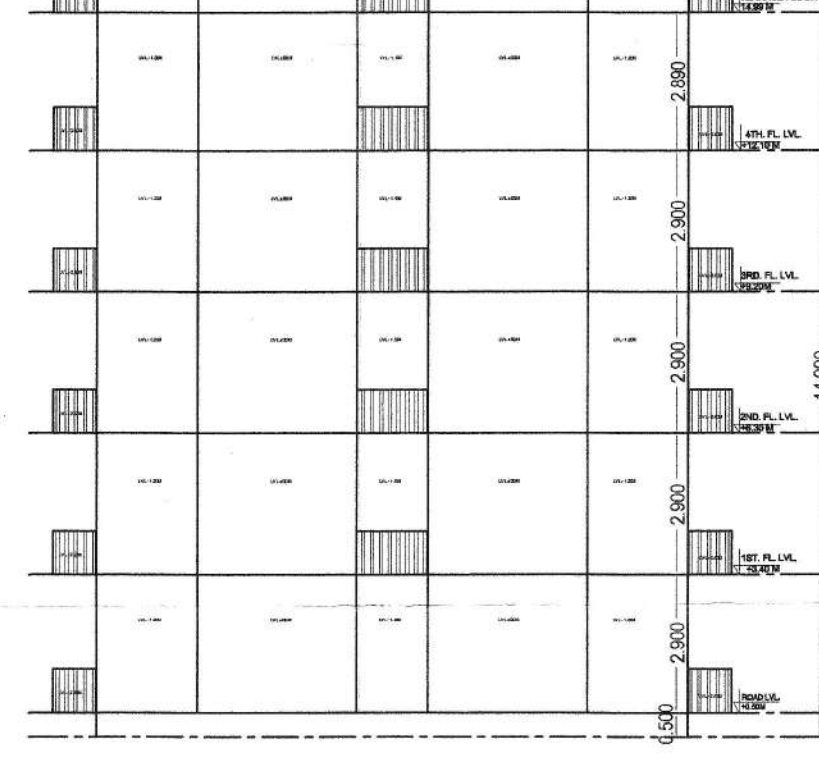
सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी
SHEET NO:- 04



SECTION, A-A



REAR SIDE ELEVATION



RIGHT SIDE ELEVATION

PROJECT :-
PROPOSED BUILDING PLAN OF CM JAN AWAS GROUP HOUSING PROJECT
AT KHASRA NO-87/833, 88 VILLAGE - KOLLA SANGA,
TEH. NEEMRANA, DISTT. ALWAR, (RAJ.)

DRAWING TITLE
BLOCK - E 01 & 02,04
PLAN, ELEVATION & SECTION.

DATE 13-04-2017 SCALE 1:100 NORTH

ARCHITECT
CREATIVE STUDIO
ARCHITECT INTERIOR LANDSCAPE DESIGNER
AR. MANSINGH MEENA
B-81, BEHIND UIT OFFICE, BHAGAT SINGH COLONY,
BHIWADI, ALWAR, MO:- 09460478315
EMAIL:- mansingh1984@gmail.com
- creativestudiohiwadi@gmail.com

ARCHITECT'S SIGNATURE AR. MANSINGH MEENA CA/10/49305

OWNER'S SIGNATURE

Revised letters & Maps

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 9433-34/18

दिनांक 06/02/18

मुख्यमंत्री जन आवास योजना संशोधित भवन निर्माण अनुमति पत्र

श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह
सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह
अतुल कुमार पुत्र श्री दलेल सिंह
निवासी अटेरना तह0 व जिला सोनीपत हरि0

विषय :- श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह निवासी अपार्टमेन्ट 002, टावर 20 विपुल ग्रीन्स सैक्टर 48 सोहना रोड गुडगावां हरि0, सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह निवासी 113/18 खन्ना माजरा पोस्ट बकनोर जिला अम्बाला हरि0, अतुल कुमार पुत्र श्री दलेल सिंह निवासी अटेरना तह0 व जिला सोनीपत हरि0 द्वारा ग्राम कोलीलासांगा तह0 नीमराणा जिला अलवर के खसरा नं0 67/833, 68 कुल किता 02 कुल रकबा 19218.74 वर्ग मी0 भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल 3ए के तहत LIG/EWS के संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक 06.09.2017 के क्रम में ग्राम न कोलीलासांगा तह0 नीमराणा जिला अलवर के खसरा नं0 67/833, 68 कुल किता 02 कुल रकबा 19218.74 वर्ग मी0 भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल 3ए के तहत आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) के भूखण्ड पर न्यास की मुख्यमंत्री जन आवास योजना की भवन मानचित्र समिति की 11वी बैठक दिनांक 13.12.2017 के एजेण्डा नं0 02 पर लिये गये निर्णय अनुसार संशोधित भवन मानचित्र निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किए जाते हैं।

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, मूल स्वीकृति से अधिकतम 4 वर्ष हेतु मान्य होगी तथा पूर्व स्वीकृति की समस्त शर्तें मान्य होगी।
02. परियोजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015 के तहत स्वीकृत की गई है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना के समस्त शर्तें/पैरामीटर आदि मान्य होंगे।
03. परियोजना के संशोधित मानचित्र रेरा में आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड किये जाने होंगे।
04. आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3ए के तहत मानचित्र प्रस्तुत किये हैं। अतः जन आवास योजना के प्रावधान 3ए के अन्तर्गत आने वाले समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक द्वारा सुनिश्चित करनी होगी।
05. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा यह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
06. भवन मानचित्र में दर्शाये अनुसार EWS/LIG फ्लेटों का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना व इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के तहत ही किया जावेगा।
07. आवासीय योजना 20000 वर्ग मी0 से अधिक निर्मित क्षेत्र का निर्माण पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही किया जावेगा। पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की समस्त शर्तें मान्य होगी।
08. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जावेगा।
09. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
10. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

11. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
12. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
13. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
14. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।
15. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
16. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
17. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सड़कें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
18. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में दर्शा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
19. पार्किंग का प्रावधान एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार पार्किंग क्षेत्र पार्किंग हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
20. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
21. भवन का कुर्सी तल, सड़क के तल से न्यूनतम 0.5 मी0 रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
22. भूखण्ड में नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा।
23. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरीक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
24. एकीकृत भवन विनियम 2017 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
25. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
26. एकीकृत भवन विनियम 2017 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
27. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन्स की पालना विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
28. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।


 वरि0 नगर नियोजक
 नगर विकास न्यास,
 भिवाडी

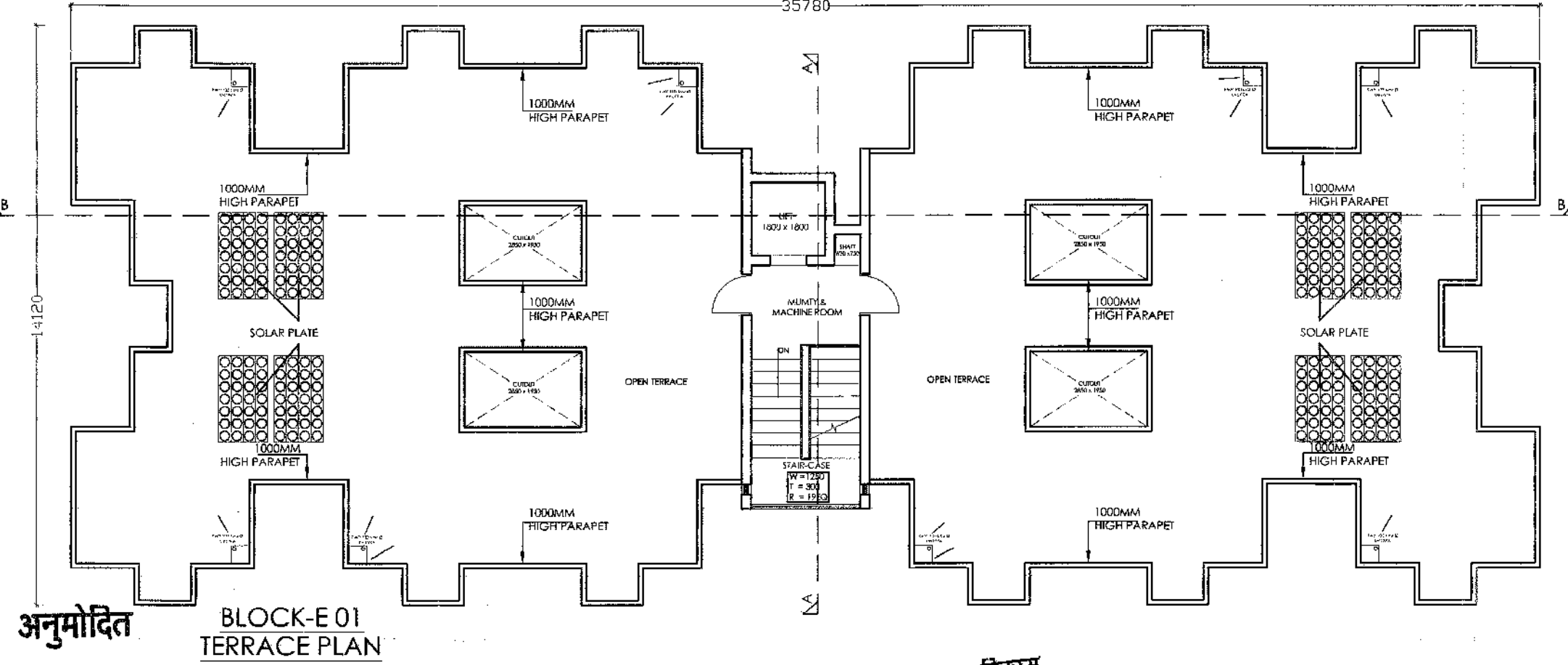
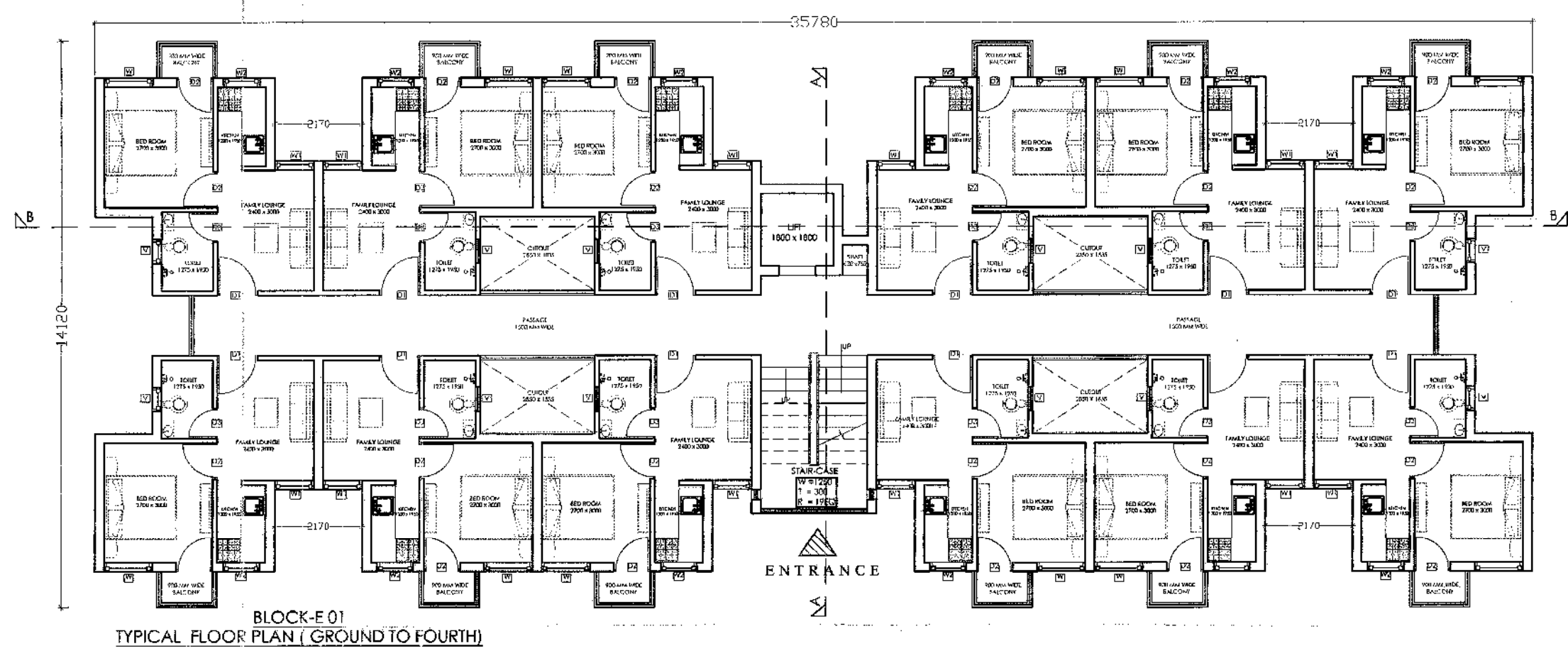
संलग्न:- भवन मानचित्र (8)

क्रमांक: आयोजना/

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक:

वरि0 नगर नियोजक
 नगर विकास न्यास,
 भिवाडी



नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा नो वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

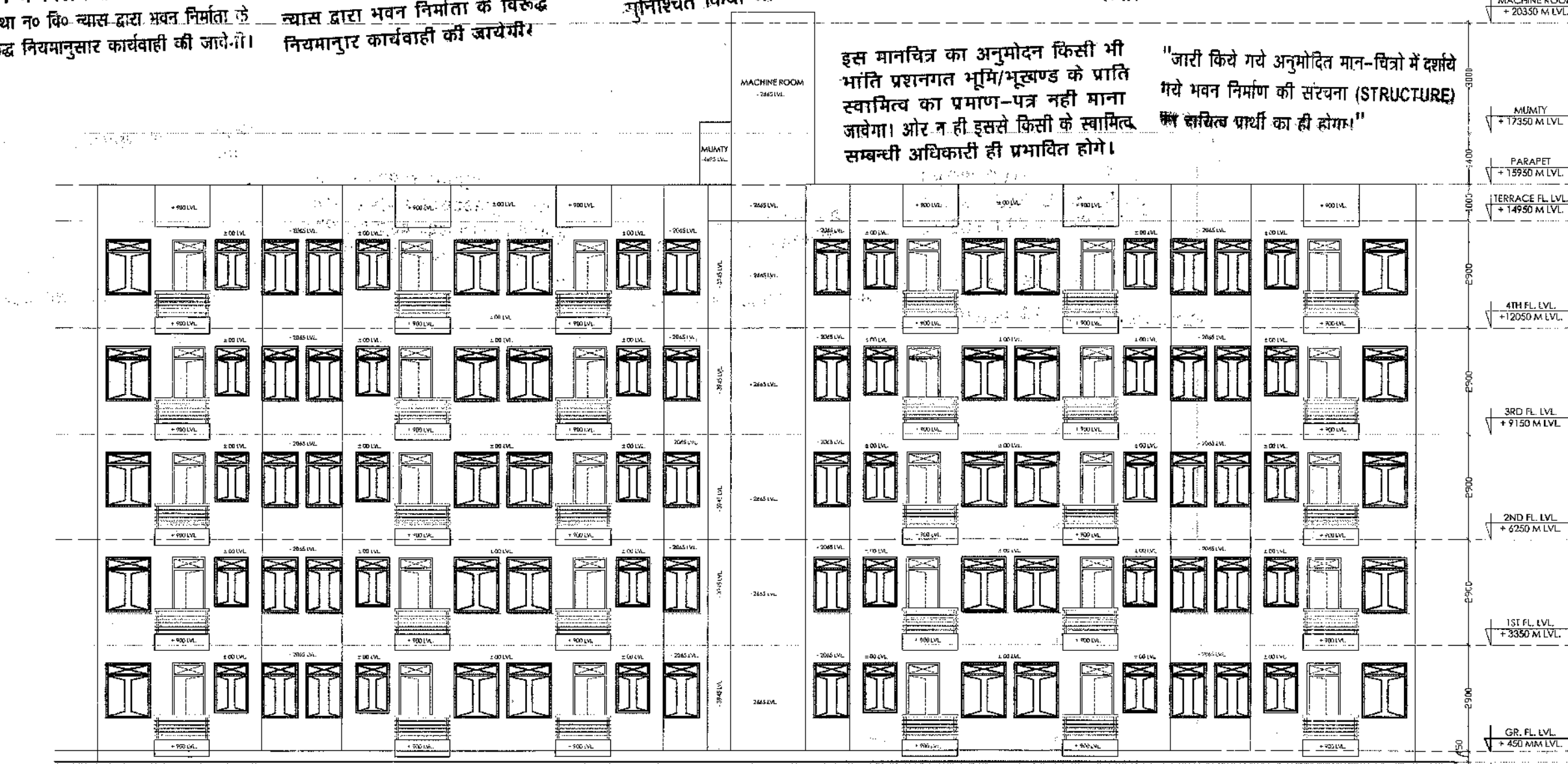
नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्गाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा नो वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को पालन किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में रोज़ सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रभाव पत्र" आपातित प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा पेश करना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशान्त भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) के सम्बन्धित धर्मा का ही होगा।"



सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ
Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

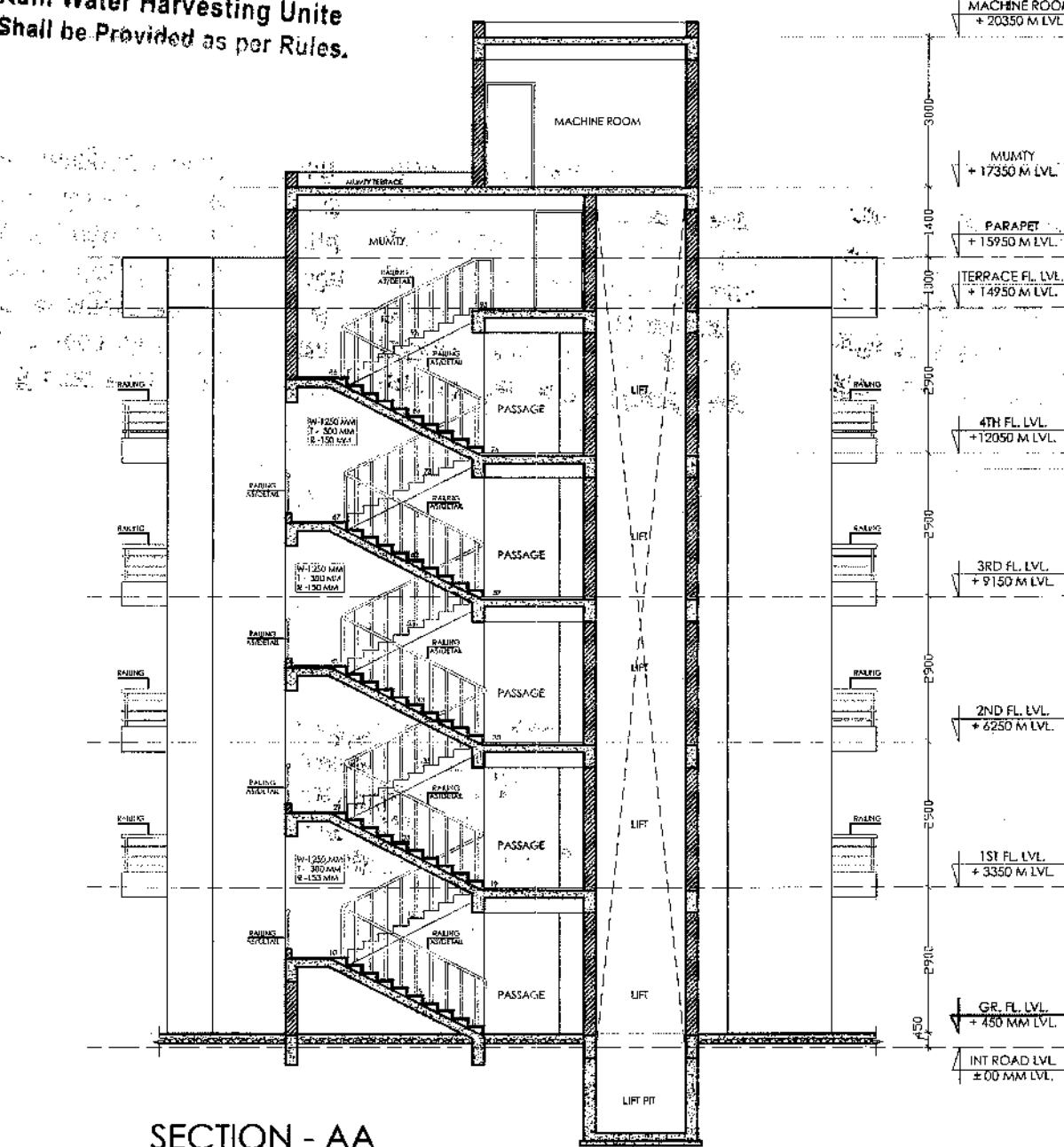
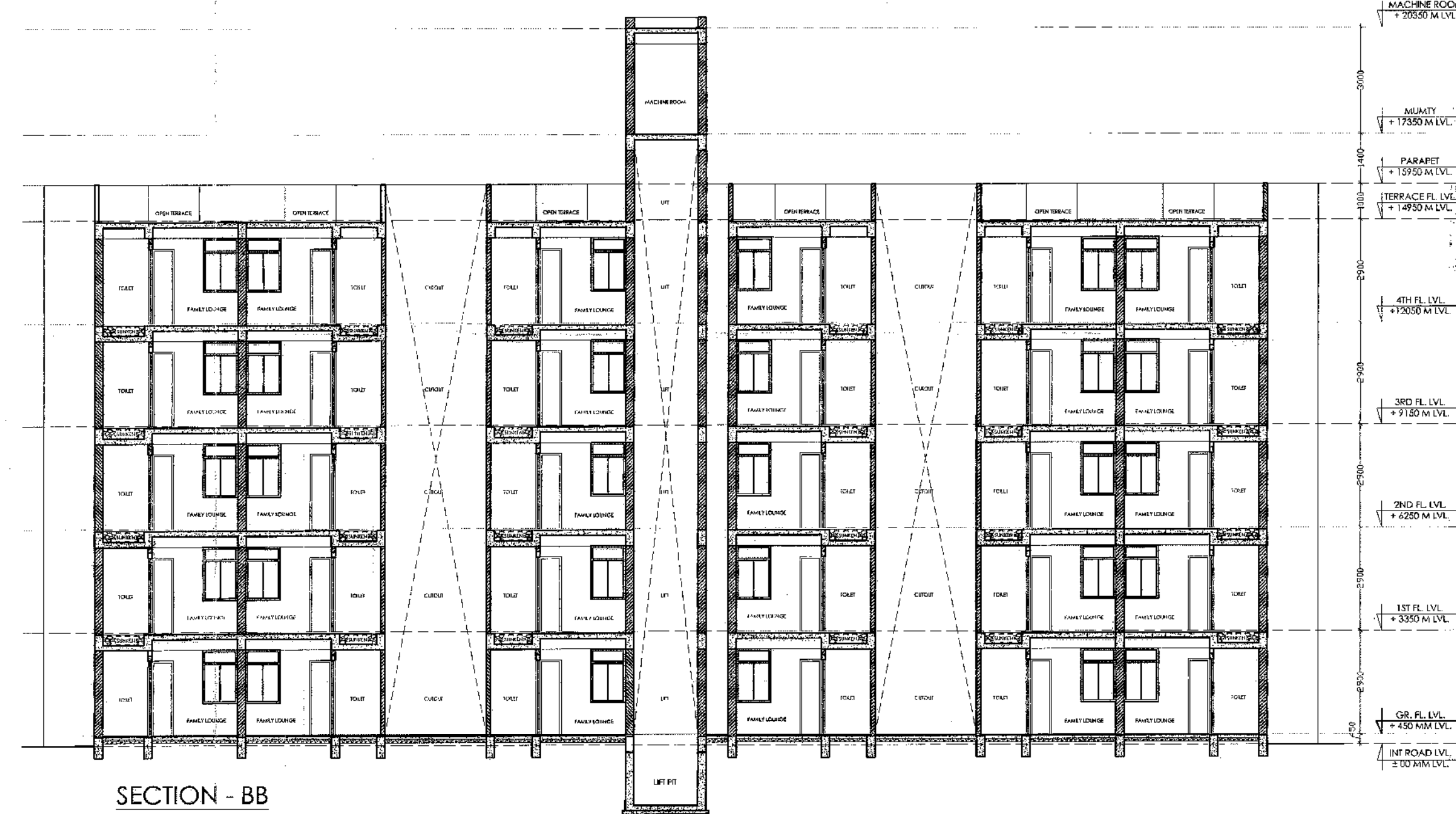
Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

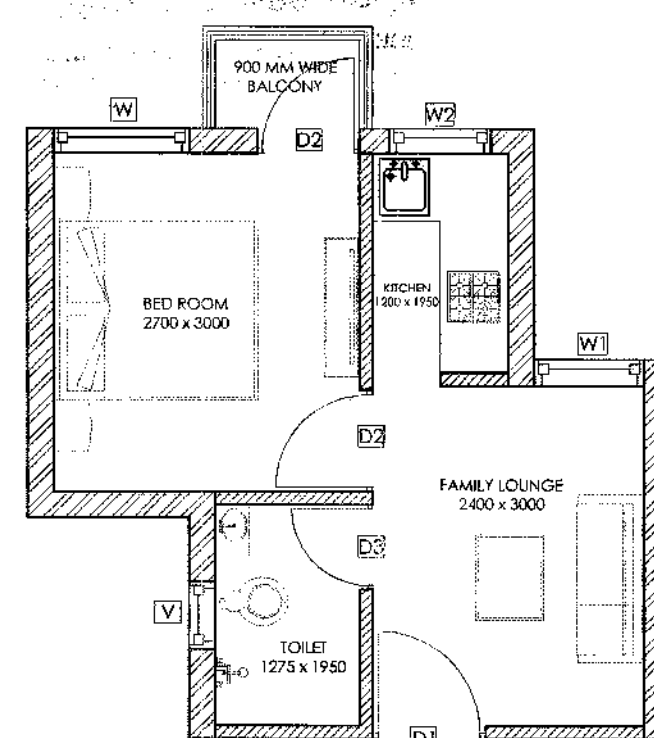
THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

MARK	WIDTH	SILL	LINTEL
D1	1000	---	2100
D2	900	---	2100
D3	750	---	2100
W	1200	900	2400
W1	950	900	2400
W2	900	1050	2400
V	600	600	2400

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.



ews UNIT PLAN (TYPE-I)



- BUILT UP AREA = 26.17 SQMT. / 281.58 SQFT
- BALCONY = 1.35/2 = 0.675 SQMT. (50%)
- PASSAGE, STAIRCASE, & MUMTY = 5.32 SQMT.
- SUPER BUILT UP AREA = 30.82 SQMT. / 331.62 SQFT.
- CARPET AREA = 20.38 SQMT. / 219.28 SQFT.

AREA CALCULATION					
BLOCK E-01 (TYPICAL GROUND TO FOURTH FLOOR)					
S.NO.	LENGTH	WIDTH	AREA (SQMT.)	NOS.	AREA (SQMT.)
B1	1.425	3.460	4.931	12	59.166
B2	3.050	5.410	16.501	4	66.002
B3	1.085	3.345	3.629	8	29.035
B4	2.935	5.410	15.878	8	127.027
B5	1.200	3.345	4.014	4	16.056
B6	2.850	0.115	0.328	4	1.311
B7	2.030	0.230	0.467	2	0.934
B8	0.230	1.800	0.414	1	0.414
B9	0.620	0.230	0.143	1	0.143
TOTAL					300.087
1. TOTAL NET AREA (B1 TO B9)= 300.087 SQ. MT.					
2. COMMON AREA					
LT-1	1.800	1.800	3.240	1	3.240
ST-1	2.650	3.950	10.468	1	10.468
TOTAL					13.708
3. BALCONY & WARDROBE					
BL1	1.500	0.900	1.350	12	16.200
SUB TOTAL					16.200
TOTAL				(2+3)	29.908
TOTAL				(1+2+3)	329.994
4. PASSAGE					
P1	31.100	1.500	46.650	1	46.650
P2	2.650	0.485	1.285	1	1.285
TOTAL					47.935
5. TOTAL BUILT UP AREA (1+2+3+4) = 391.637					
6. TOTAL BUILT UP AREA (1+2+3+4) = 391.637					
7. FREE FROM FAR AREA (2+3+5) = 74.918					
8. FAR = (6-7) = 316.720					
9. GROSS BUA = (6) = 391.637					
10. GROSS FAR/FLOOR					
TYP. FLOOR	316.720	5	1	60	1583.998
TOTAL					1583.998
11. TOTAL BUA/ FLOOR					
TYP. FLOOR	391.637	5	1	60	1958.185
TOTAL					1958.185

Signature of Owner

Signature of Architect

PROJECT
PROPOSED BUILDING PLAN OF CM JAN AWAS GROUP HOUSING PROJECT AT KHASRA NO. - 67/833, 68 VILLAGE - KOLILA SANGA, TEH. NEEMRANA, DISTT. ALWAR (RAJ)

BLOCK E-01 REVISED
FLOOR PLANS, ELEVATIONS, SECTIONS AND AREA DAIGRAM

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 13.12.17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 3534/18-2-18.

SHEET NO

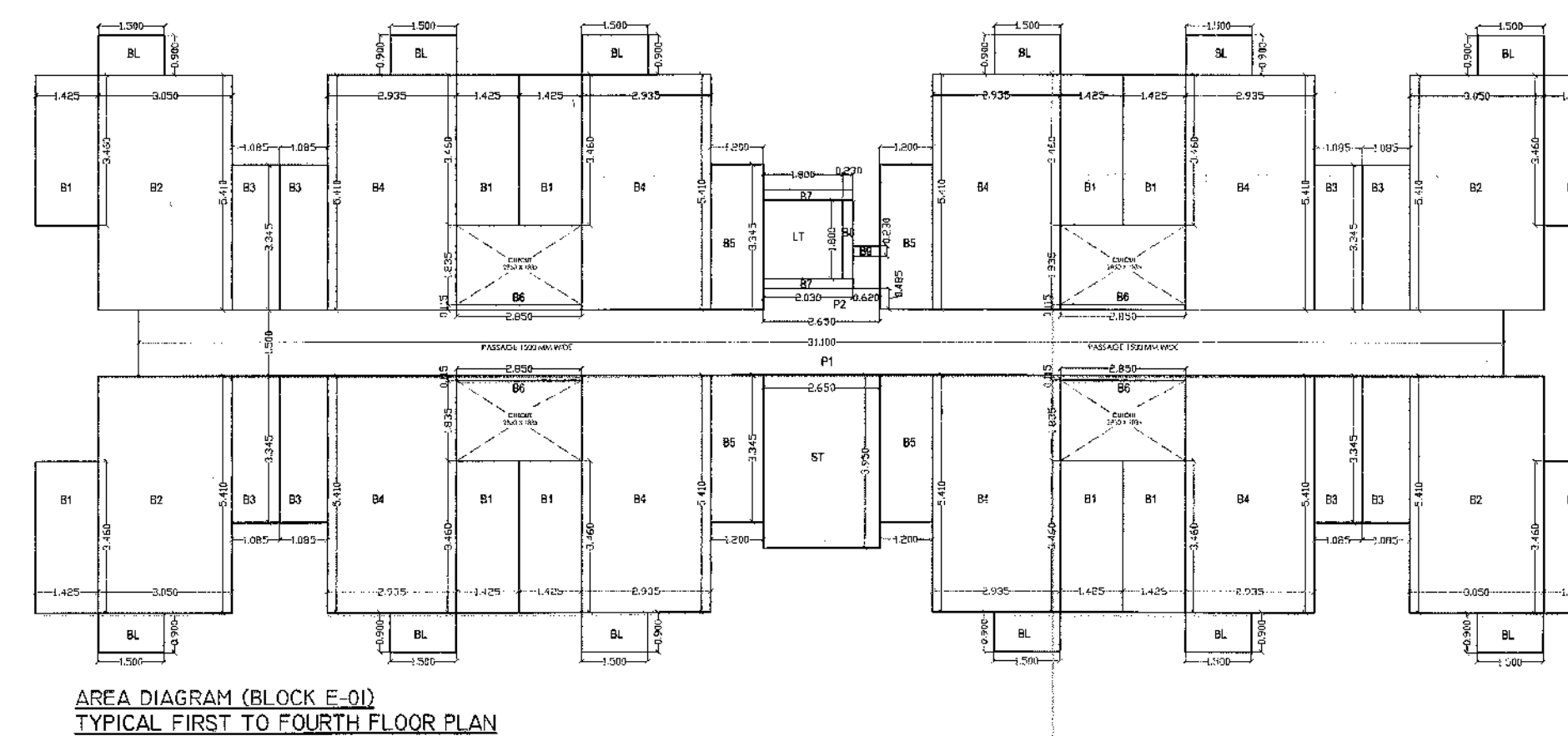
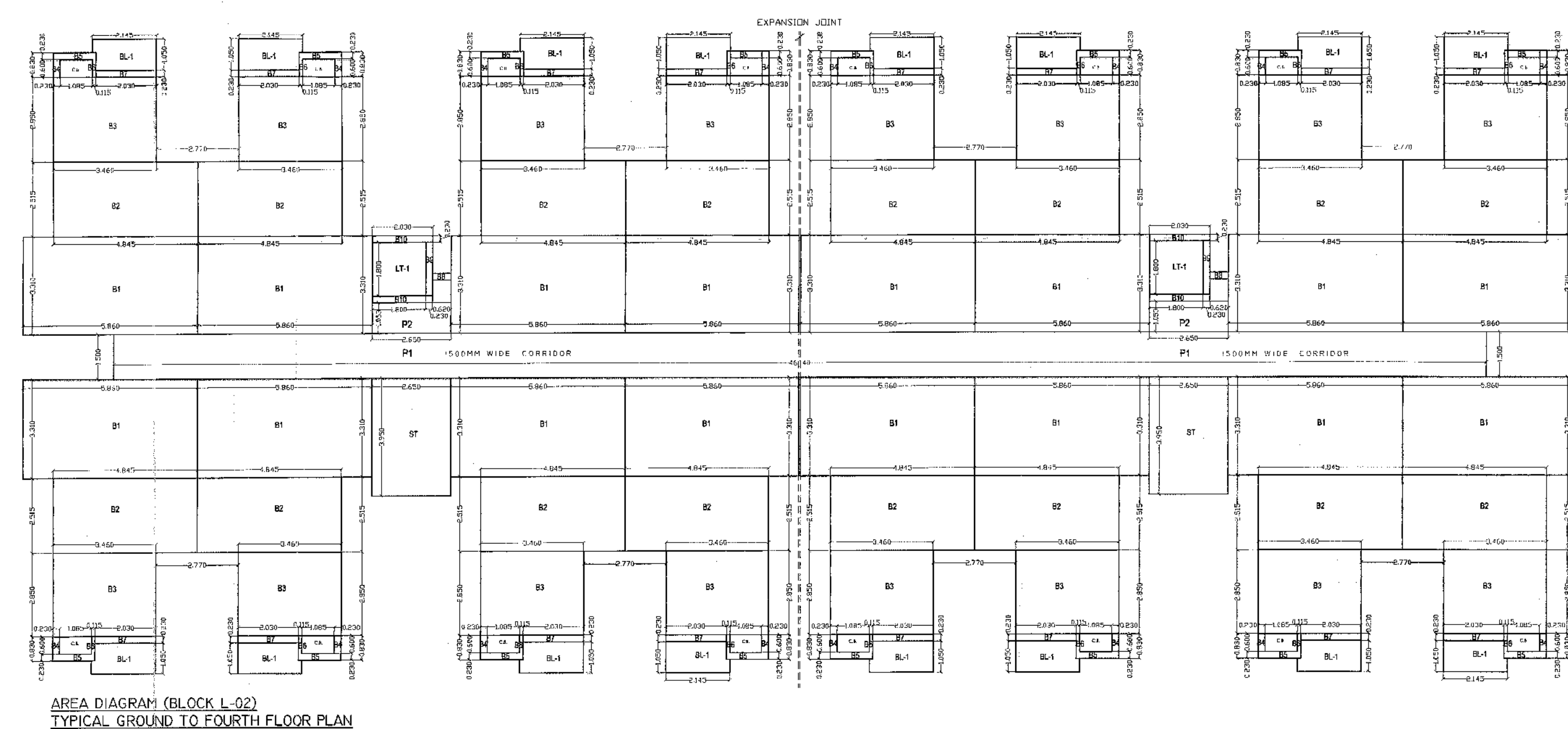
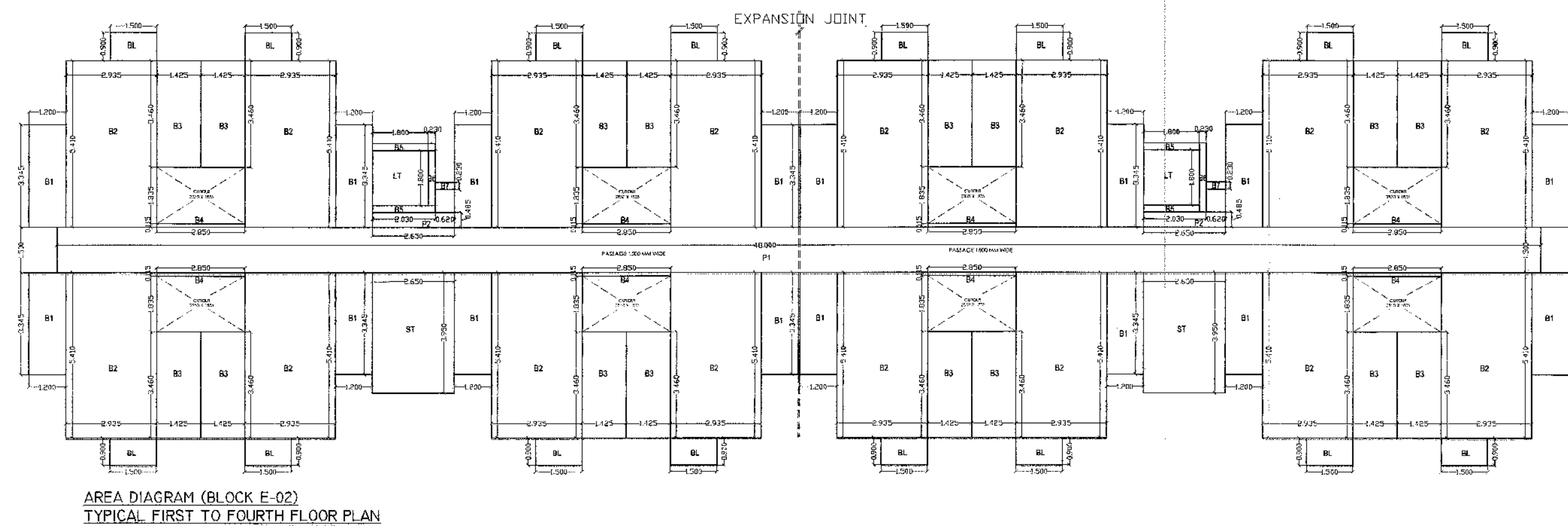
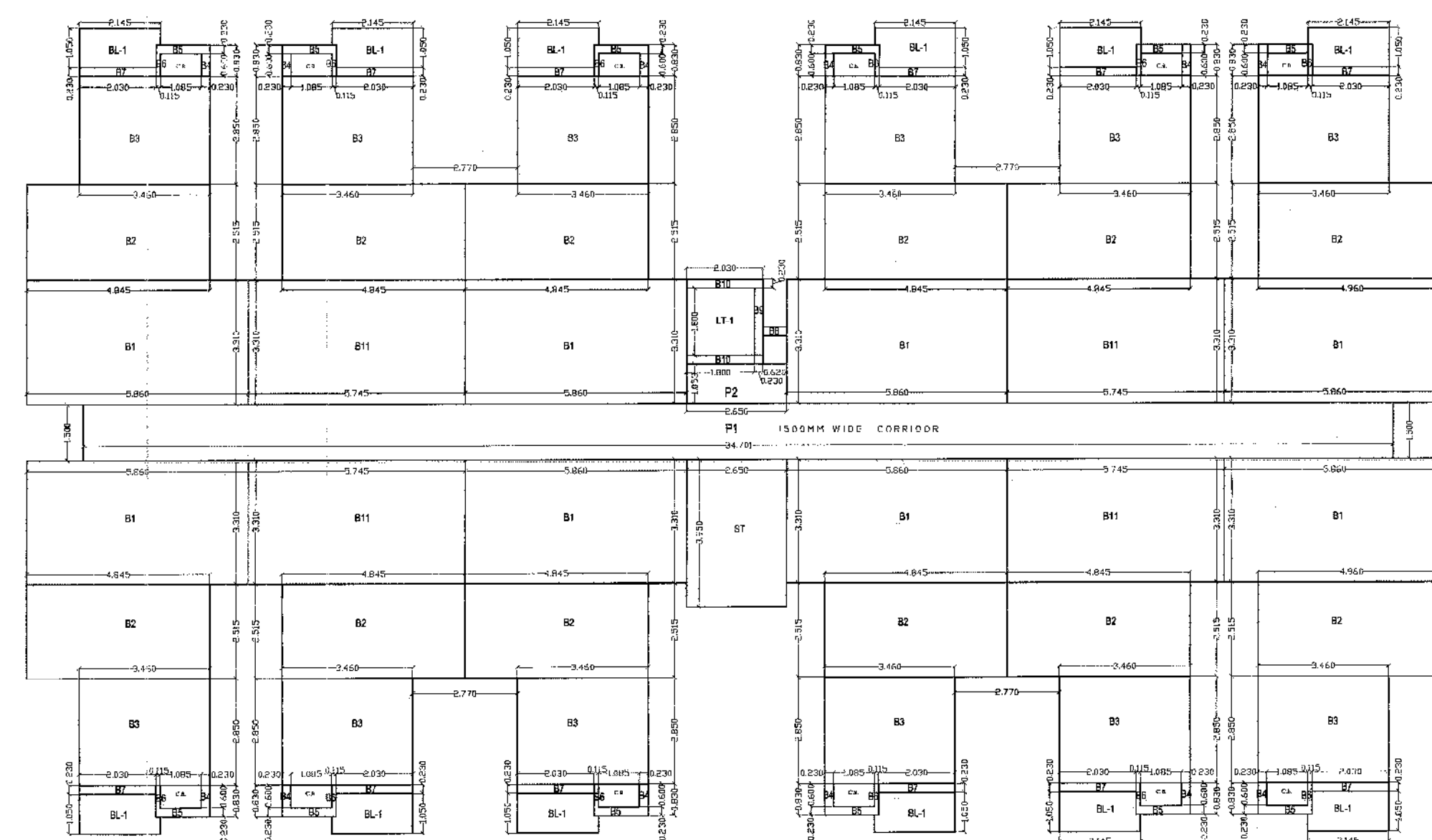
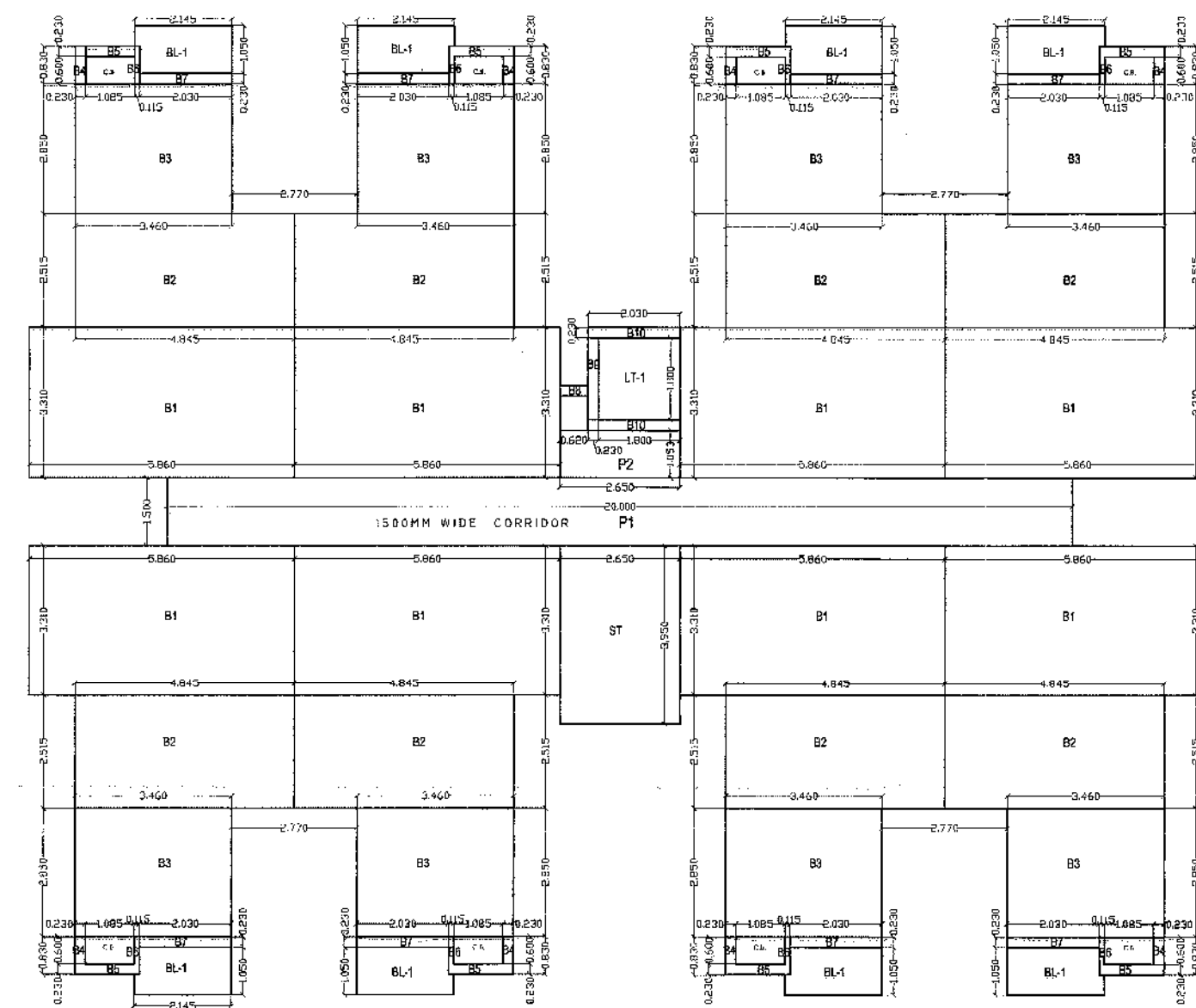
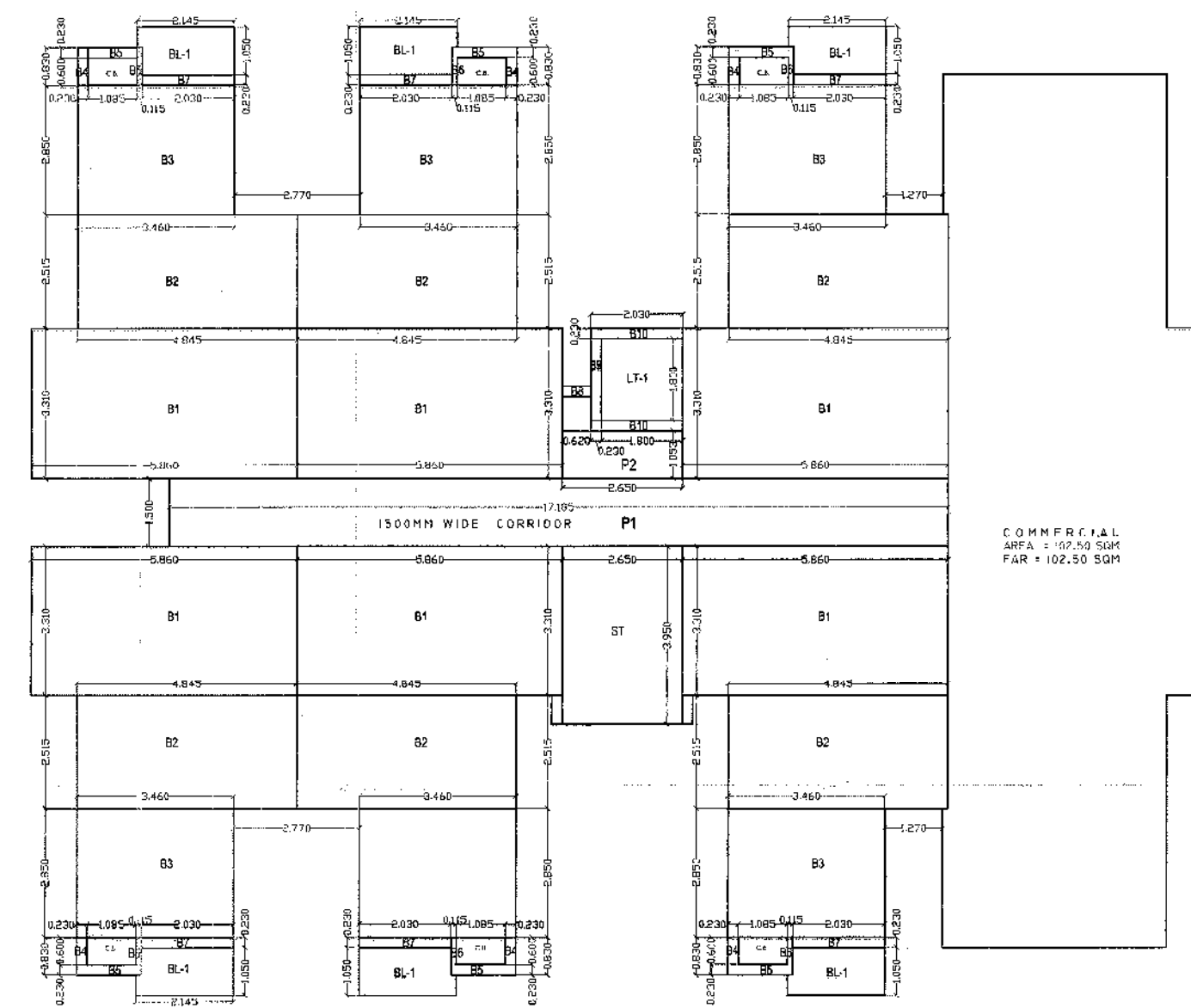
05/08

drn. : date : 01-09-2017

dlt. : scale : 1 : 100

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)



For Labana Developers LLP

Partno

Signature of Owner

For **Shipkhar Architects**
 Ar. Shailendra Singh Sengar
 B-Arch, M.C.A., FIA, FIV, AIID
 Regd. Architect
 COA No.-43575

Signature of Architect

PROJECT
PROPOSED BUILDING PLAN OF CM JAN
AWAS GROUP HOUSING PROJECT AT
KHASRA NO. - 67/833, 68 VILLAGE - KOLILA
SANGA, TEH. NEEMRANA, DISTT. ALWAR
(RAJ)

AREA DIAGRAM *REVISED*
(L-01, L-02, L-03 & E-01, E-02)

SHEET NO

07/08

drn. :

date :

01-09-2017

dlt. :

scale :

1 : 100

dmr. :
date :
scale :
1 : 100

01-09-2017

06/08

SHEET NO

PROJECT
PROPOSED BUILDING PLAN OF CM JAN
AWAS GROUP HOUSING PROJECT AT
KHASRA NO. - 67/833, 68 VILLAGE - KOLIA
SANGA, TEH. NEEMRANA, DISTT. ALWAR
(RAJ)

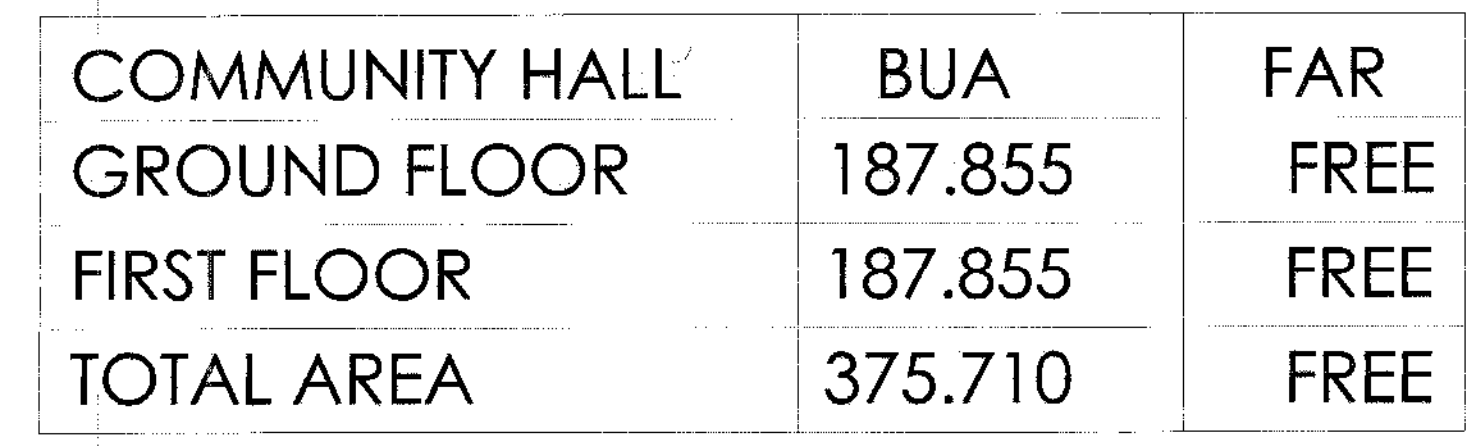
BLOCK E-02
FLOOR PLANS, ELEVATIONS,
SECTIONS AND AREA DAIGRAM

Signature of Owner
Partner
For Leasing Developers LLP

Signature of Architect
Ar. Shikhar Arora
Regd. Architect
B-arch, M.C.A., PUA, FIV, AUID
COA No.-45875

BLOCK-02 (TYPICAL GROUND TO FOURTH FLOOR)					
S.NO.	LENGTH	WIDTH	AREA (SQ.MT.)	NOS.	AREA (SQ.MT.)
B1	1.200	3.345	4.014	16	64.224
B2	2.995	5.410	15.878	16	254.054
B3	1.425	3.460	4.931	16	78.898
B4	2.850	0.115	0.328	8	2.622
B5	2.030	0.730	0.667	4	1.868
B6	0.290	0.500	0.143	2	0.285
B7	0.620	0.230	0.143	2	0.285
1. TOTAL NET AREA (B1 TO B7) = 402.768 SQ. MT.					
2. COMMON AREA					
L1-1	1.800	1.800	3.240	2	6.480
ST-1	2.650	3.950	10.468	2	20.935
3. BALCONY & WARDROBE					
BLL	1.500	0.900	1.350	16	21.600
SUB TOTAL					21.600
TOTAL			(1+2+3)		49.015
4. PASSAGE					
P1	48.000	1.500	72.000	1	72.000
P2	2.650	0.485	1.285	2	2.571
TOTAL					74.571
5. PASSAGE AREA PERMISSIBLE (402.768x15%)					
TOTAL					60.411
6. TOTAL BUILT UP AREA (1+2+3+4)					
7. FREE FROM FAR AREA (2+3+5)					109.435
8. FAR = (6-7) =					444.344
9. GROSS BUA = (6)					553.769
10. GROSS FPA/FLOOR			NO. OF FLOORS	NO. OF BLOCKS	NO. OF UNITS
			5	1	80
TYP. FLOOR			444.344		2221.720
11. TOTAL BUA/FLOOR			NO. OF FLOORS	NO. OF BLOCKS	
			5	1	80
TYP. FLOOR			553.769		2768.845
TYP. FLOOR			553.769		2768.845
AREA CALCULATION					

	date :	
	01-09-2017	
	scale :	
	1 : 100	



इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रमाणित होंगे।

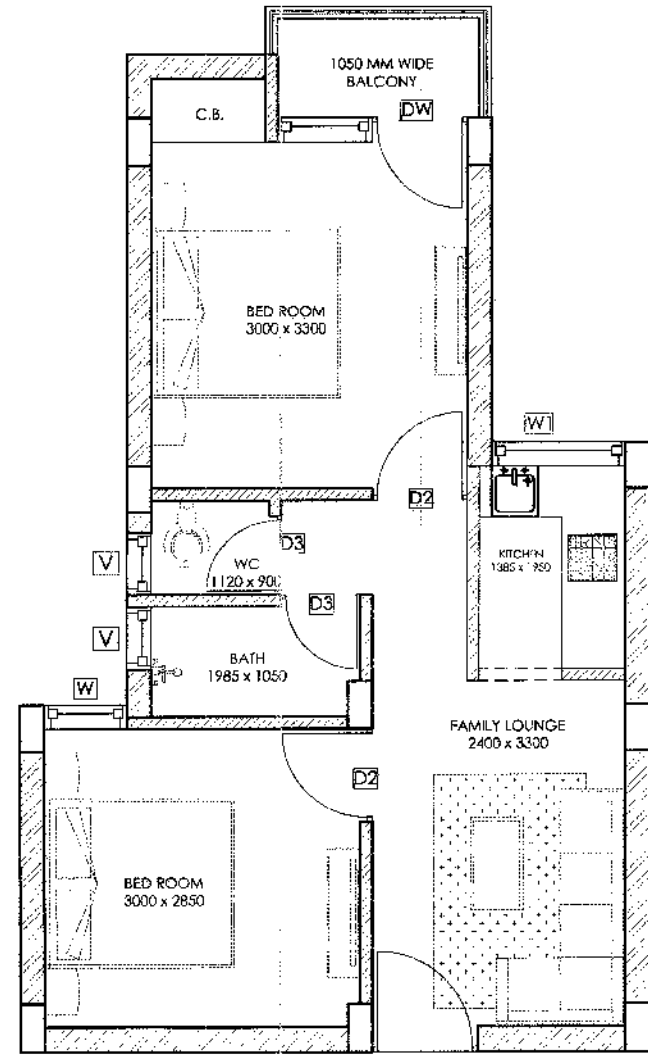
इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिलाई, छत्तीसगढ़

OPINING SCHEDULE			
MARK	WIDTH	SILL	LINTEL
D1	1000	---	2100
D2	900	---	2100
D3	750	---	2100
DW	1800	900	2400
W	750	900	2400
W1	800	1050	2400
V	600	600	2400

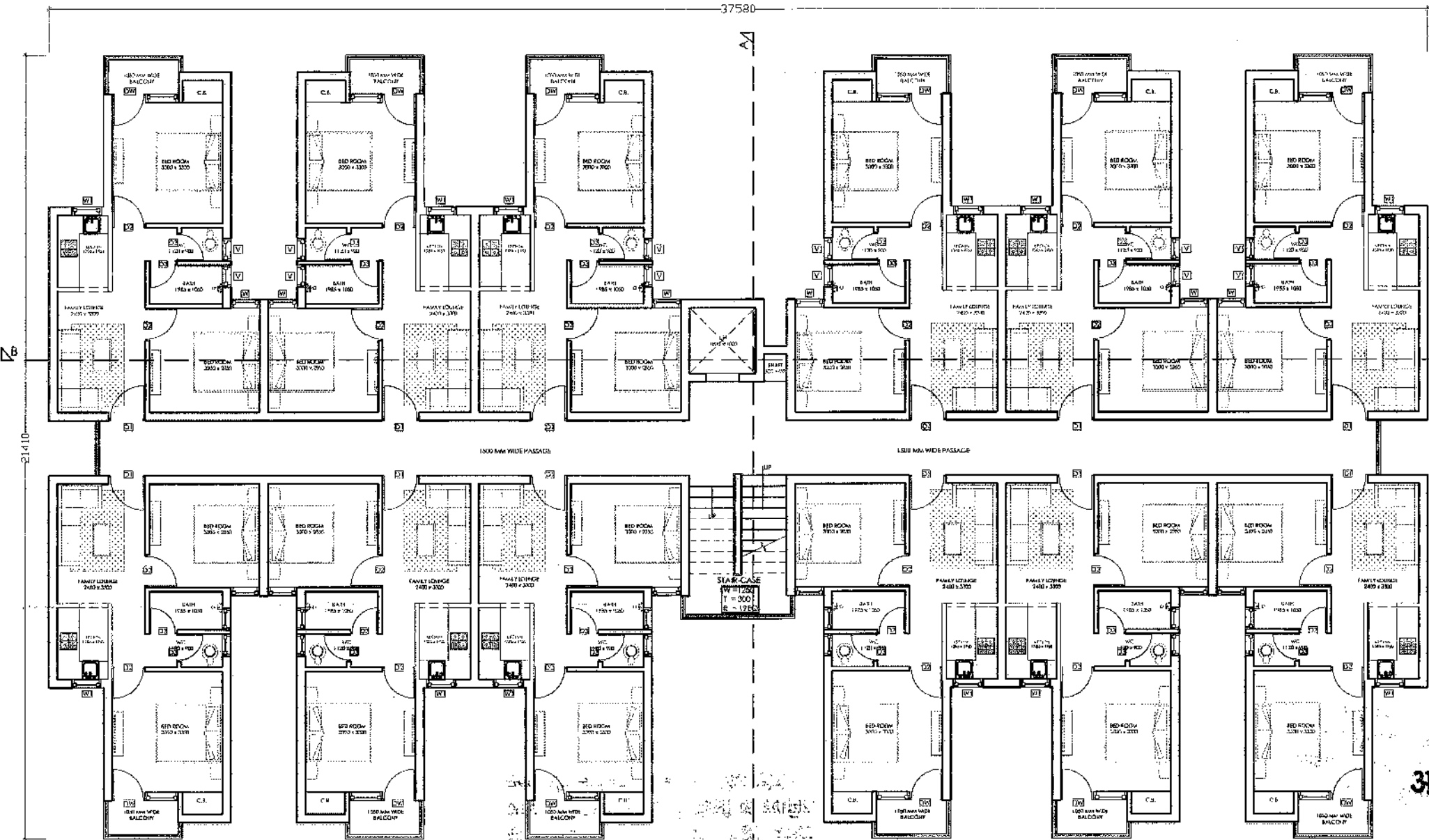
LIG UNIT PLAN (TYPE-3)



TYPICAL UNIT PLAN (LIG TYPE-3)

- BUILT UP AREA = 45.27 SQMT.
- BALCONY = 2.18/2 = 1.09 SQMT.
- PASSAGE, STAIRCASE & MUMTY = 5.88 SQMT.
- SUPER BUILT UP AREA = 50.06 SQMT./ 538.64 SQFT.
- CARPET AREA = 34.97 SQMT./ 376.27 SQFT.

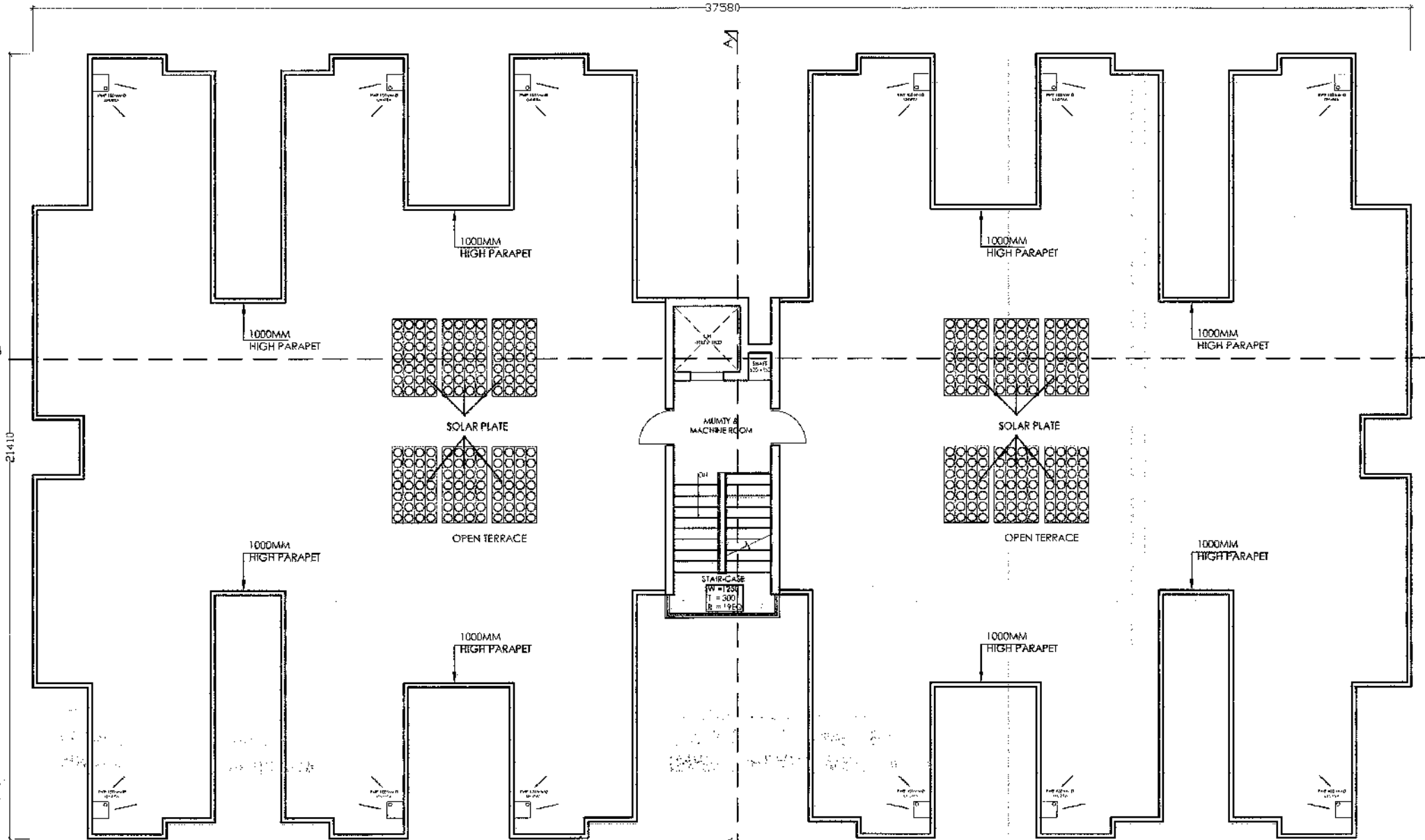
TYPICAL FLOOR PLAN (GROUND TO FOURTH)
BLOCK NO. L-3



अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अथवा न० बि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

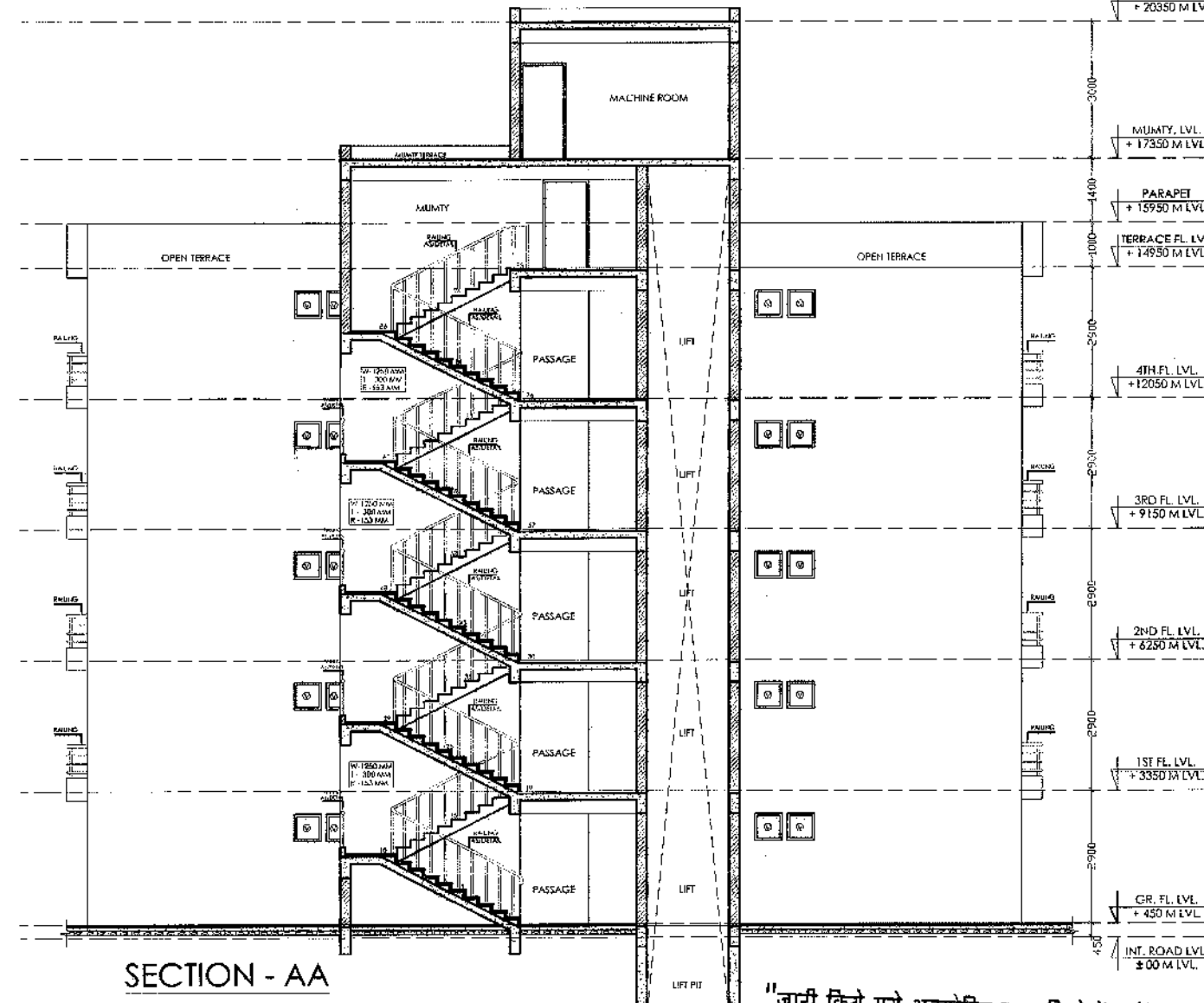
TERRACE PLAN
BLOCK NO. L-5



नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
दिशा निर्देशों के अनुसार वर्गाकृत
संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अथवा न० बि०
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विशुद्ध ज्ञेय में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण
पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।



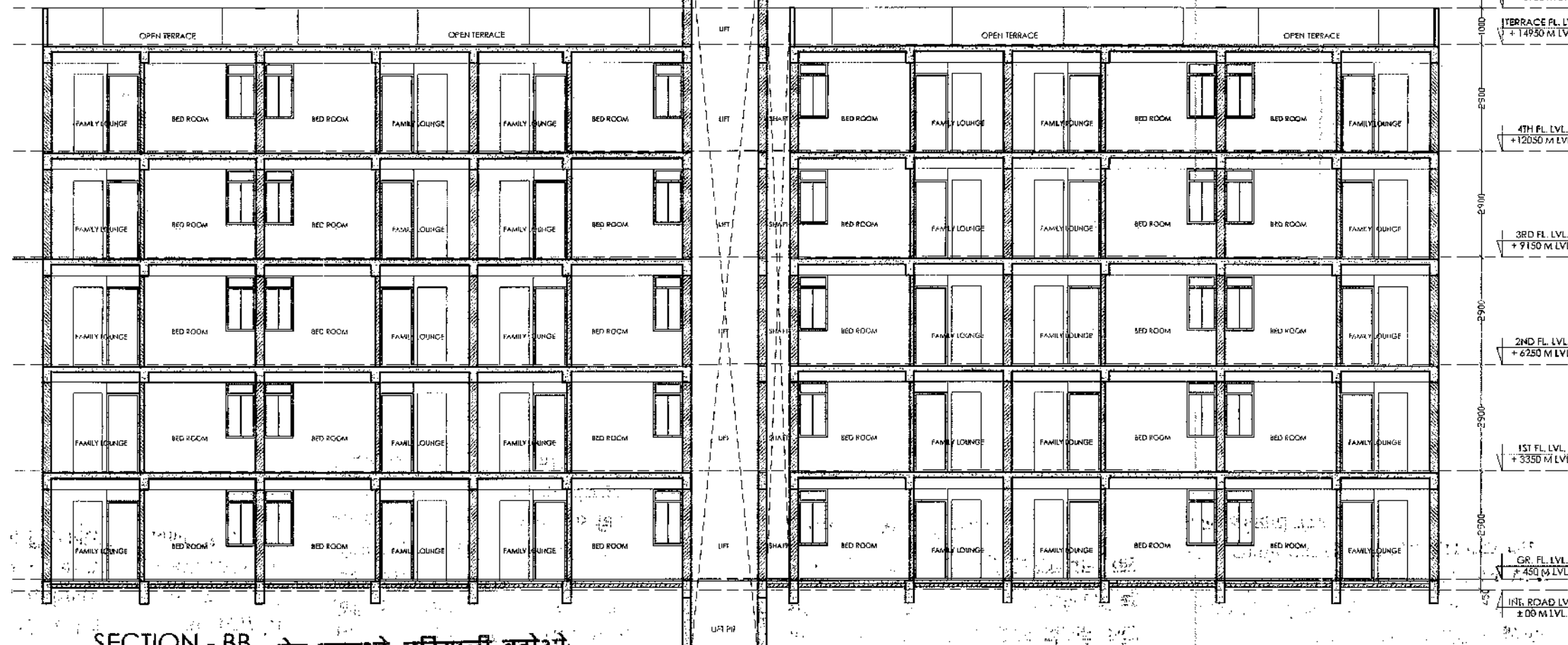
SECTION - AA

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशंगगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

सार ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

SECTION - BB



पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.



FRONT SIDE ELEVATION



REAR SIDE ELEVATION

Applicants should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

AREA CALCULATION					
BLOCK L-03 (TYPICAL GROUND TO FOURTH FLOOR)					
S.NO.	LENGTH	WIDTH	AREA (SQMT.)	NOS.	AREA (SQMT.)
B1	5.860	3.310	19.397	8	155.173
B2	4.845	2.515	12.185	12	146.222
B3	3.460	2.850	9.861	12	118.332
B4	0.230	0.830	0.191	12	2.291
B5	1.085	0.230	0.250	12	2.995
B6	0.115	0.830	0.095	12	1.145
B7	0.030	0.230	0.007	12	0.083
B8	0.630	0.230	0.145	1	0.145
B9	0.230	1.800	0.414	1	0.414
B10	1.800	0.230	0.414	2	0.828
B11	5.745	3.310	19.016	4	76.064
TOTAL					509.211
1. TOTAL NET AREA (B1 TO B11)=509.211SQ. MT.					
2. COMMON AREA					
LT-1	1.800	1.800	3.240	1	3.240
ST-1	2.650	3.950	10.468	1	10.468
TOTAL					13.708
3. BALCONY & WARDROBE					
B11	2.145	1.050	2.252	12	27.027
WB	1.085	0.600	0.651	12	7.812
SUB TOTAL					34.839
TOTAL					48.547
TOTAL					557.758
4. PASSAGE					
P1	34.700	1.500	52.050	1	52.050
P2	2.650	1.053	2.790	1	2.790
TOTAL					54.840
5. PASSAGE AREA PERMISSIBLE (509.211X15%)					
TOTAL BUILT UP AREA (1+2+3+4)					612.598
7. FREE FROM FAR AREA (2+3+4)					103.387
8. FAR = (6-7) =					509.211
9. GROSS BUA = (6)					612.598
10. GROSS FAR/FLOOR					TOTAL
TYP. FLOOR	509.211	5	1	60	2546.056
TOTAL					2546.056
11. TOTAL BUA/ FLOOR					TOTAL
TYP. FLOOR	612.598	5	1	60	3062.991
TOTAL					3062.991

For Labana Developers LLP

Partner

Signature of Owner

For Shikhar Architects
Ar. Shailendra Singh Sengar
B-Arch, M.C.A., FIV, AIND
Regd. Architect
COA No.-43676

Signature of Architect

PROJECT
PROPOSED BUILDING PLAN OF CM JAN
AWAS GROUP HOUSING PROJECT AT
KHASLA NO. - 67/833, 68 VILLAGE - KOLILA
SANGA, TEH. NEEMRANA, DISTT. ALWAR
(RAJ)

BLOCK L-03 REVISED
FLOOR PLANS, ELEVATIONS,
SECTIONS AND AREA DAIGRAM

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 13.12.17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 43334/19 Dt. 02.18.

SHEET NO

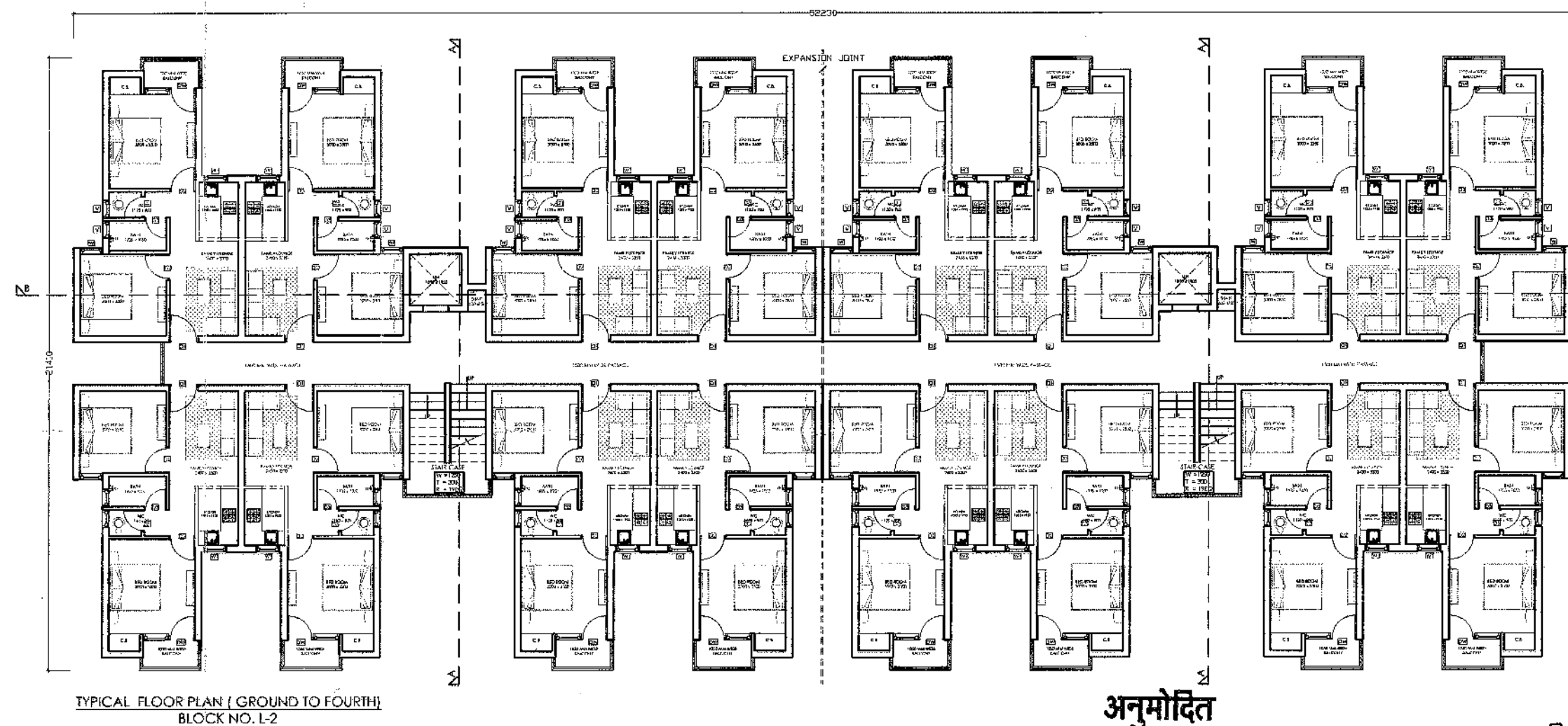
04/08

drn. : date :
01-09-2017

dlt. : scale :
1 : 100

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

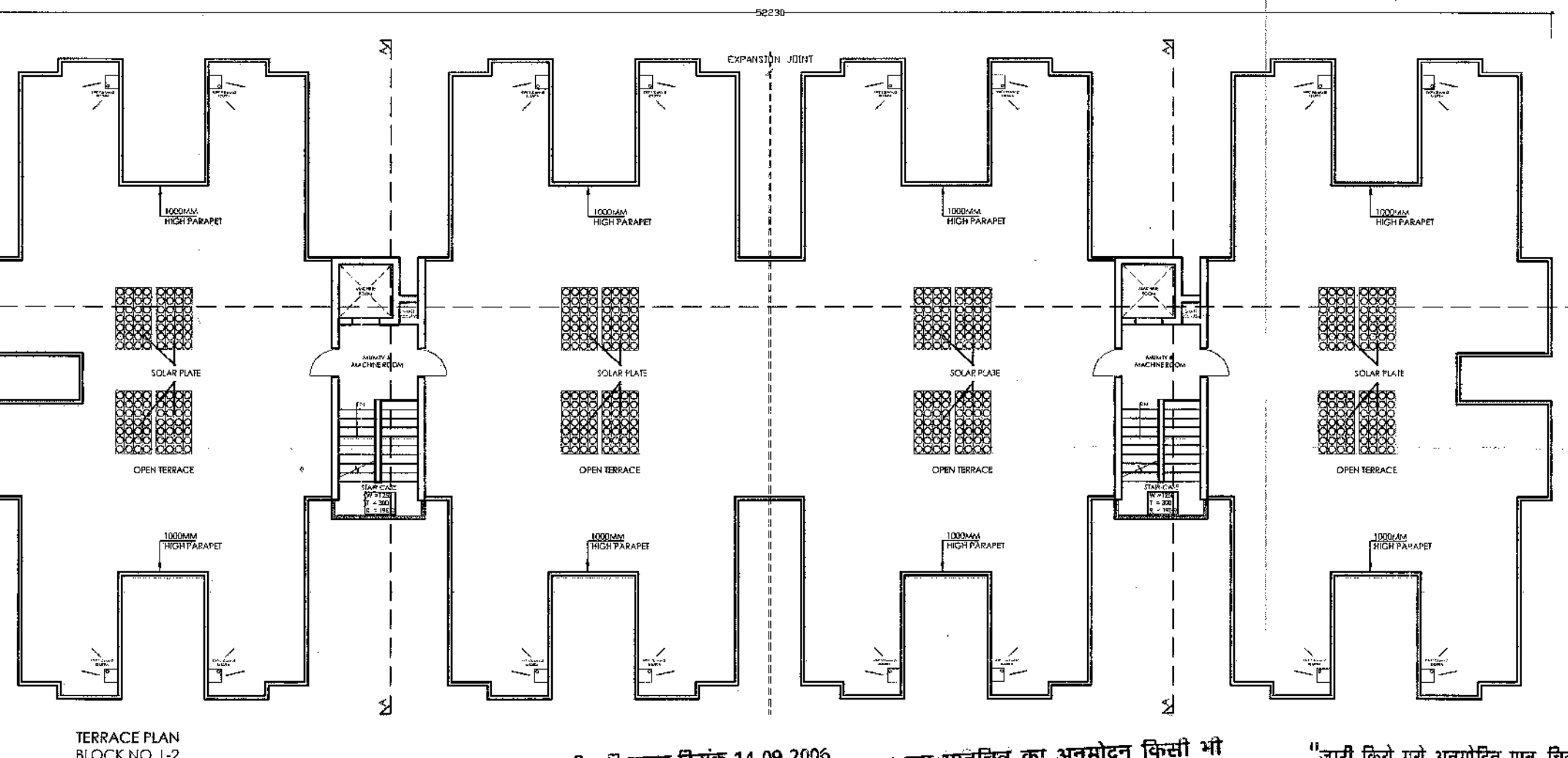


TYPICAL FLOOR PLAN (GROUND TO FOURTH)
BLOCK NO. L-2

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्पाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।



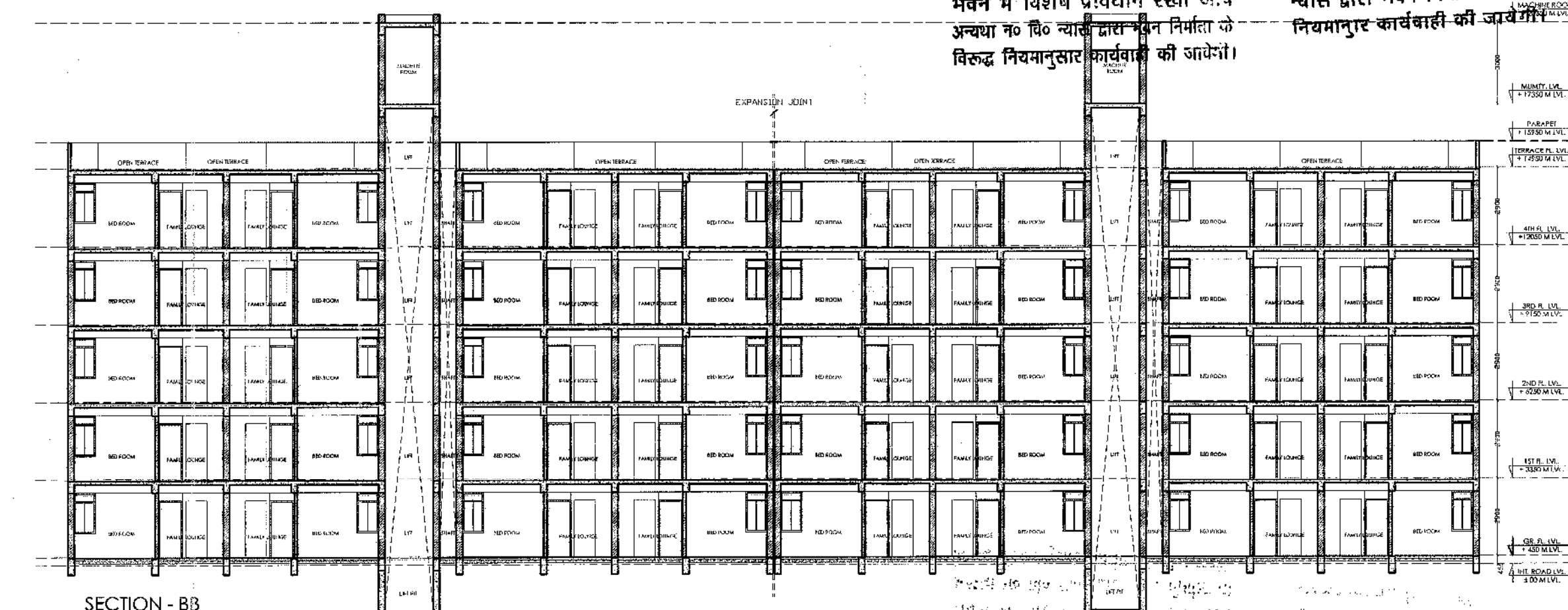
TERRACE PLAN
BLOCK NO. L-2

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्पाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस भावचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी की प्रभावित होगी।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, विकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।



SECTION - BB

सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का निवमानुसार प्रावधान किया जावे। पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ।



FRONT SIDE ELEVATION

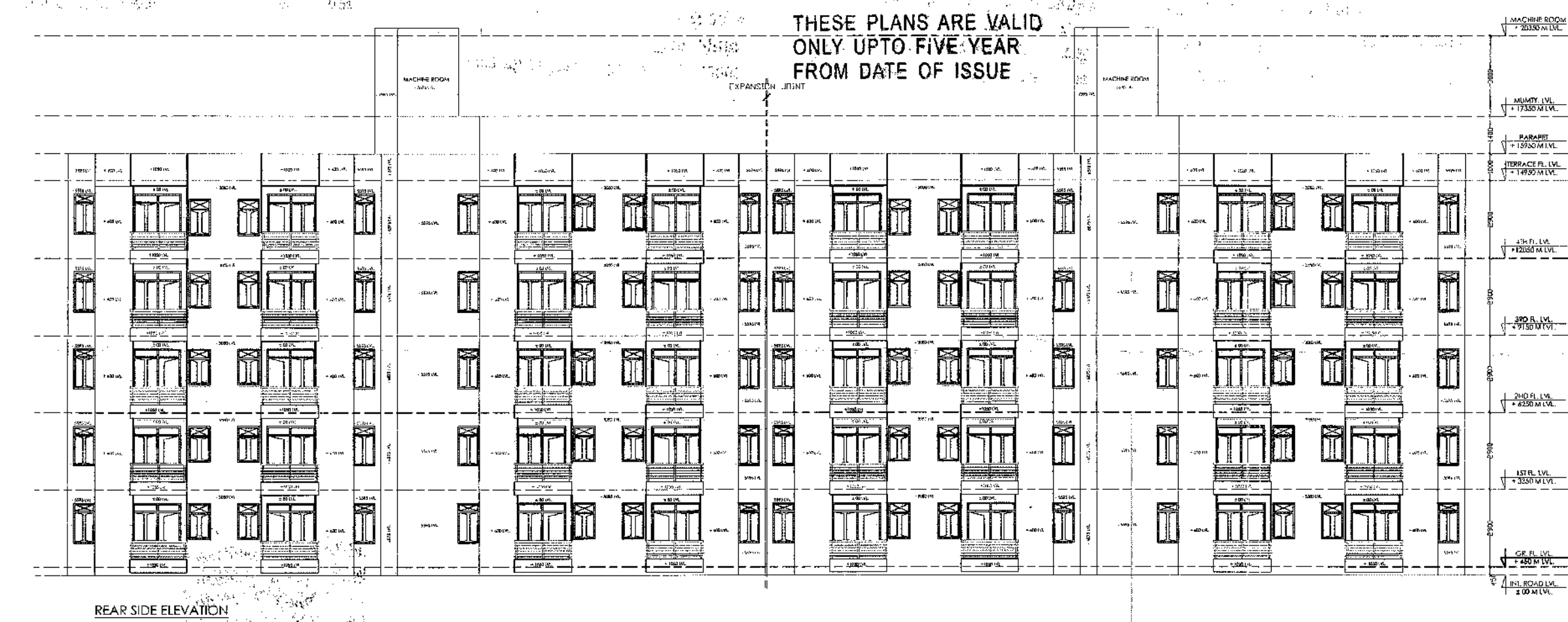
पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

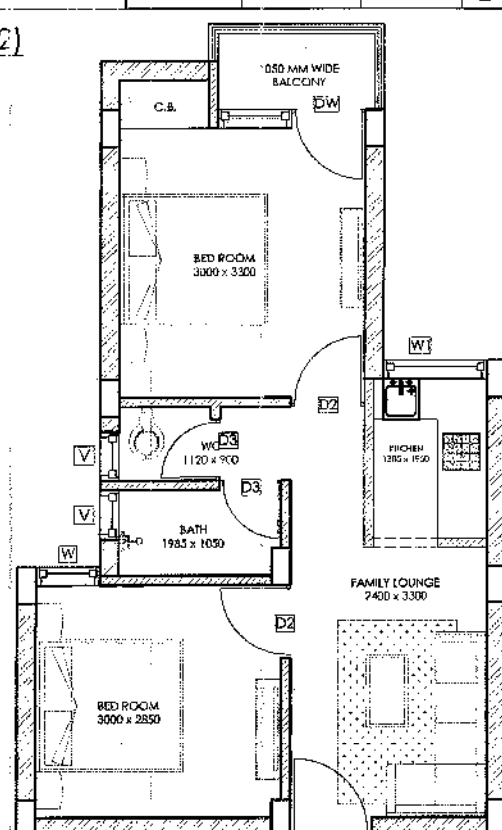
THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE-YEAR FROM DATE OF ISSUE



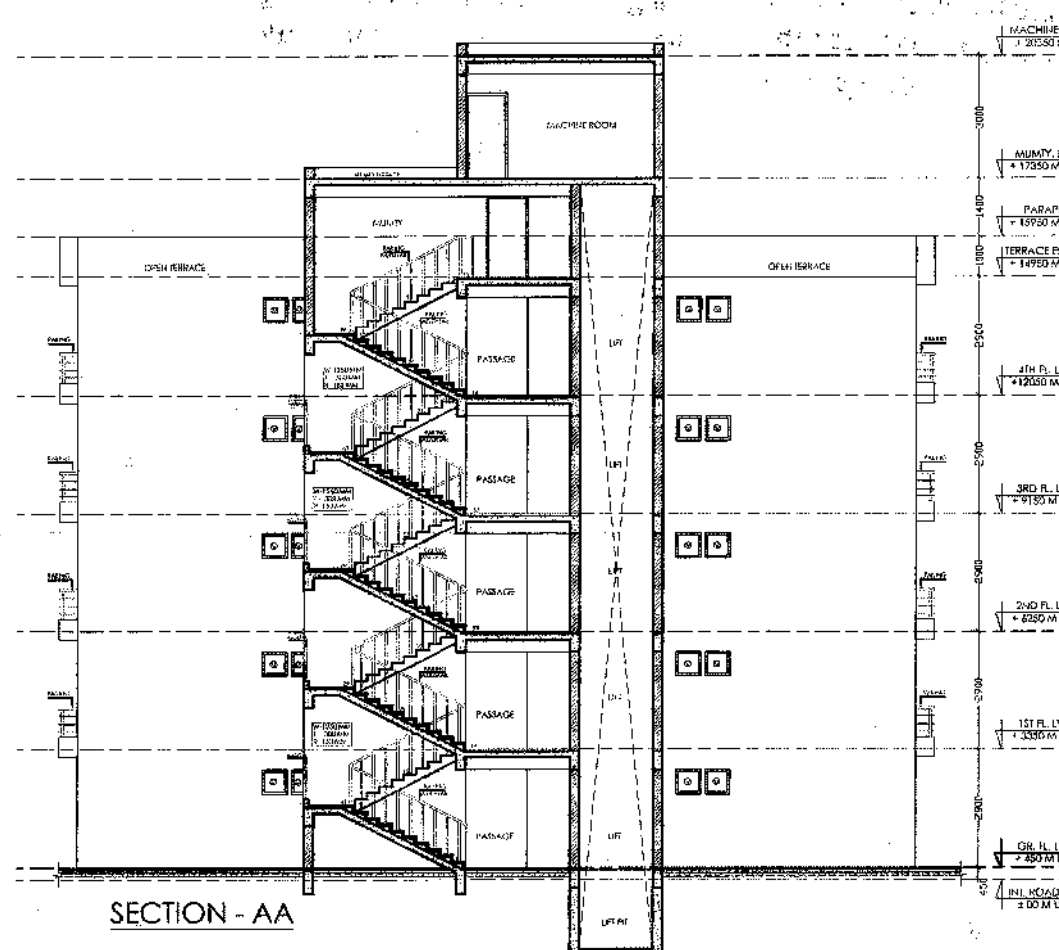
REAR SIDE ELEVATION

MARK	WIDTH	SILL	LINTEL
D1	1000	---	2100
D2	900	---	2100
D3	750	---	2100
DW	1800	900	2400
W	750	900	2400
W1	800	1050	2400
V	600	600	2400

LIG UNIT PLAN (TYPE-2)



- TYPICAL UNIT PLAN (LIG TYPE-2)
- BUILT UP AREA = 45.27 SQMT.
 - BALCONY = 2.18/2 = 1.09 SQMT.
 - PASSAGE, STAIRCASE & MUMITY = 6.64 SQMT.
 - SUPER BUILT UP AREA = 50.94 SQMT./ 547.03 SQFT.
 - CARPET AREA = 34.97 SQMT./ 376.27 SQFT.



SECTION - AA

AREA CALCULATION					
BLOCK L-02 (TYPICAL GROUND TO FOURTH FLOOR)					
S.NO.	LENGTH	WIDTH	AREA (SQMT.)	NOS.	AREA (SQMT.)
B1	5.860	3.310	19.397	16	310.346
B2	4.845	2.515	12.185	16	194.963
B3	3.460	2.850	9.861	16	157.776
B4	0.230	0.830	0.191	16	3.054
B5	1.085	0.230	0.250	16	3.993
B6	0.115	0.830	0.095	16	1.527
B7	7.030	0.230	0.467	16	7.470
B8	0.630	0.230	0.145	2	0.290
B9	0.230	1.800	0.414	2	0.828
B10	1.800	0.230	0.414	4	1.656
TOTAL					681.903
1. TOTAL NET AREA (B1 TO B10) = 256.060 SQ. MT.					
2. COMMON AREA					
LT-1	1.800	1.800	3.240	2	6.480
ST-1	2.650	3.950	10.468	2	20.935
TOTAL					27.415
3. BALCONY & WARDROBE					
BL1	2.145	1.050	2.252	16	36.036
WB	1.085	0.600	0.651	16	10.416
SUB TOTAL					46.452
TOTAL					73.867
TOTAL (1+2+3)					755.770
4. PASSAGE					
P1	46.140	1.500	69.210	1	69.210
P2	2.650	1.053	2.790	2	5.581
TOTAL					74.791
5. PASSAGE AREA PERMISSIBLE (340.952X15%)					
					102.28
6. TOTAL BUILT UP AREA (1+2+3+4)					830.561
7. FREE FROM FAR AREA (2+3+4)					148.658
8. FAR = (6-7) =					681.903
9. GROSS BUA = (6)					830.561
10. GROSS FAR/FLOOR		NO. OF FLOORS	NO. OF BLOCKS	NO. OF UNITS	TOTAL
TYP. FLOOR	681.903	5	5	400	17047.575
			TOTAL		17047.575
11. TOTAL BUA/ FLOOR		NO. OF FLOORS	NO. OF BLOCKS		
TYP. FLOOR	830.561	5	5	400	20764.023
			TOTAL		20764.023

For L&D Developers L.L.C.

M M

Signature of Owner

For Chitkara Architects
Ar. Shailendra Singh Sangar
B.Arch. M.C.A., F.I.A., F.V. A.I.I.D.
Regd. Architect
COA No.-43675

Signature of Architect

PROJECT
PROPOSED BUILDING PLAN OF CM JAN
AWAS GROUP HOUSING PROJECT AT
KHASRA NO. - 67/833, 68 VILLAGE - KOLILA
SANGA, TEH. NEEMRANA, DISTT. ALWAR
(RAJ)

BLOCK L-02 REVISED
FLOOR PLANS, ELEVATIONS,
SECTIONS AND AREA DAIGRAM

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 2.12.17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 9435-38/18 Dt. 02.02.18

SHEET NO

03/07

drn. :

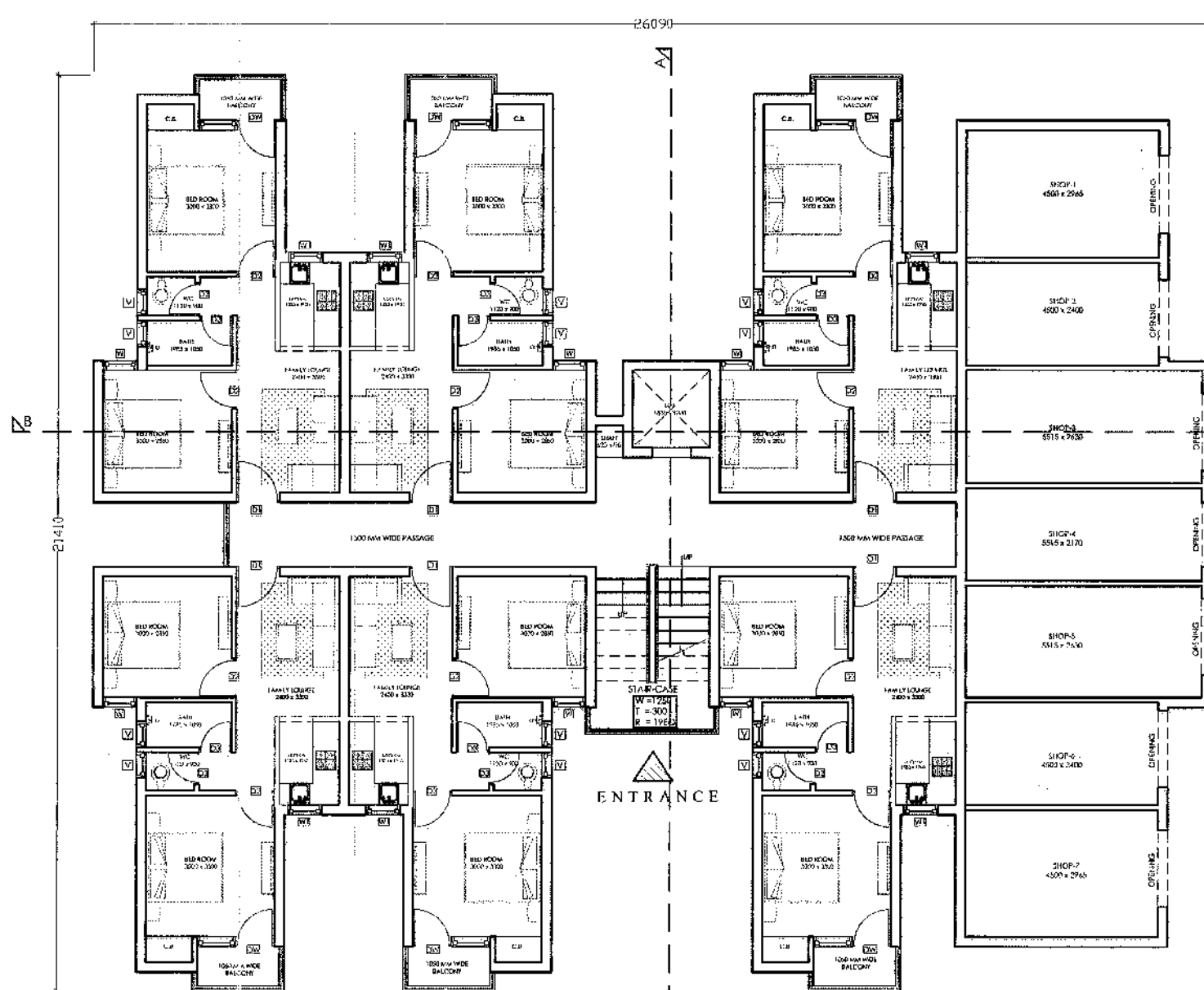
date :
01-09-2017

dlt. :

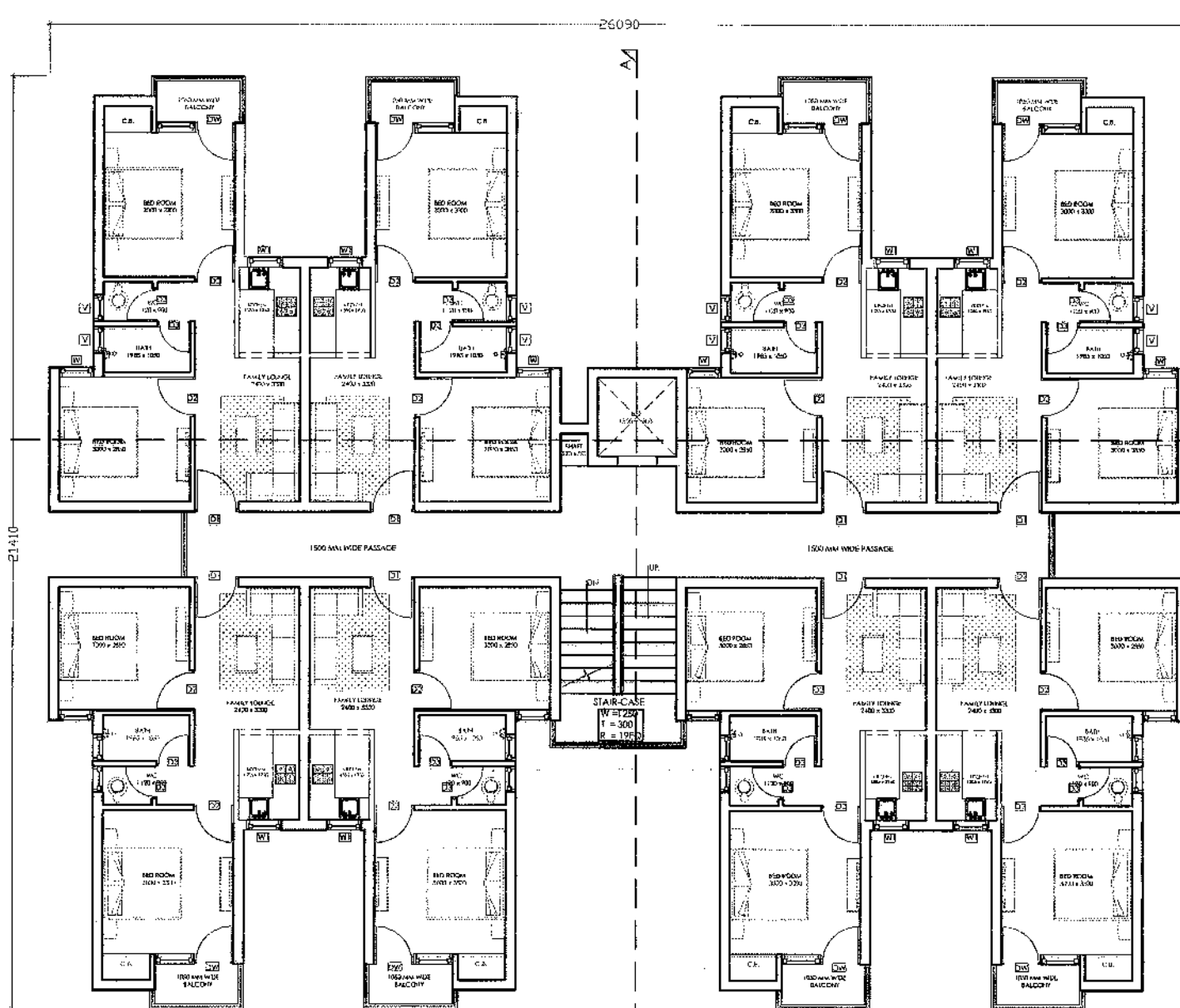
scale :
1 : 100

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

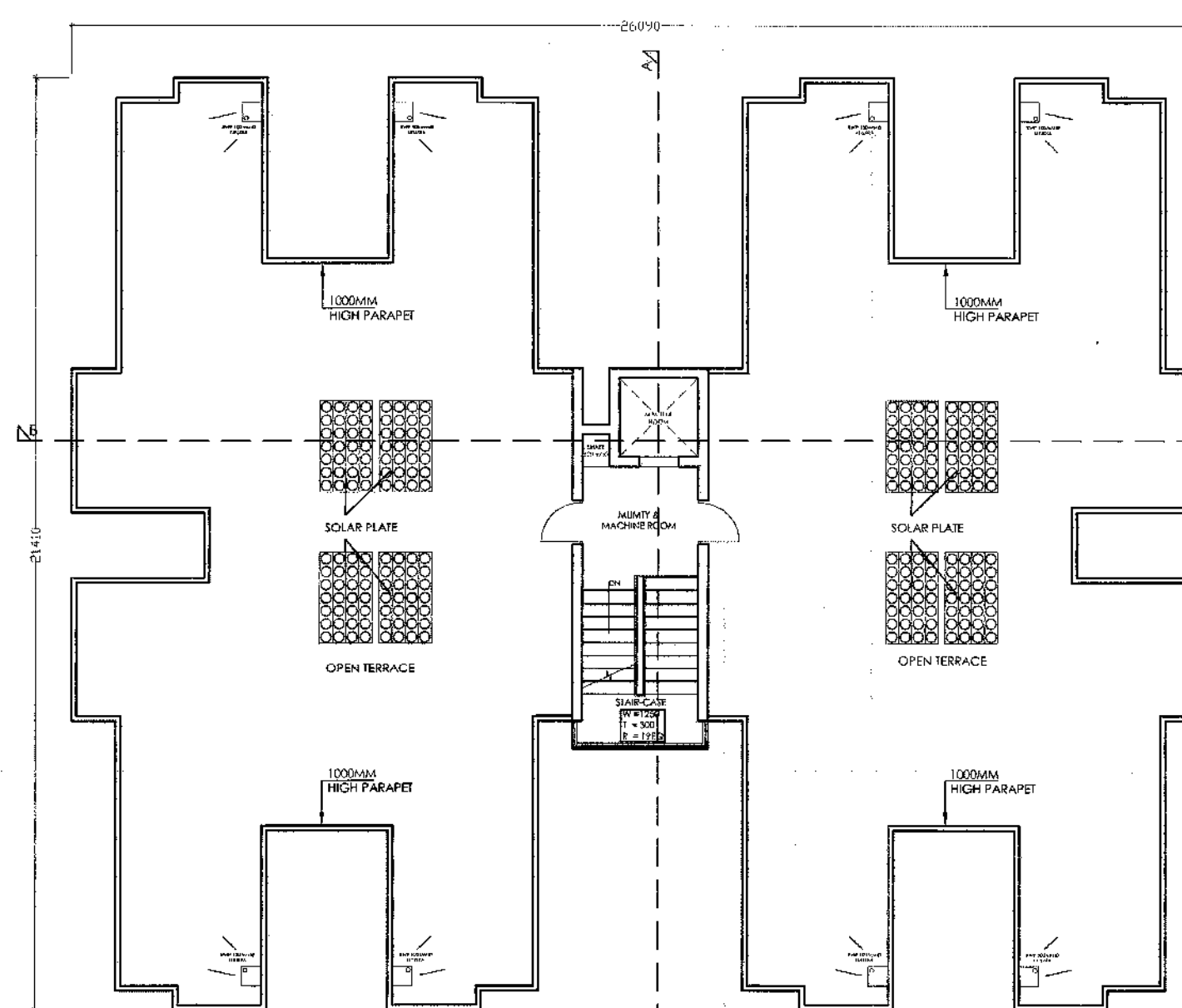
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)



GROUND FLOOR
BLOCK NO. L-1



TYPICAL (FIRST TO FOURTH FLOOR)
BLOCK NO. L-1



TERRACE PLAN
BLOCK NO. L-1

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the
construction checked at plint's
level before proceeding for
further construction.

Parking Area will be City's Property

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

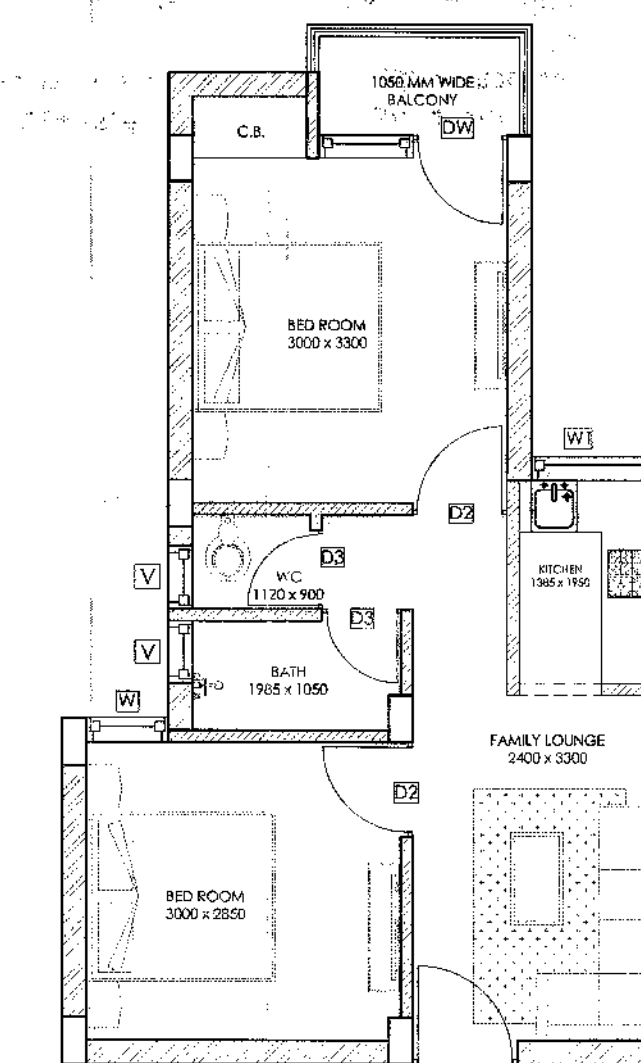
THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

AREA CALCULATION									
SL. NO.	ITEM	WIDTH	DEPTH	AREA (SQ.M)	NO.	AREA (SQ.M)	SL. NO.	ITEM	WIDTH
1	GROUND FLOOR	1.00	1.00	1.00	1	1.00	1	GROUND FLOOR	1.00
2	FIRST FLOOR	1.00	1.00	1.00	2	1.00	2	FIRST FLOOR	1.00
3	SECOND FLOOR	1.00	1.00	1.00	3	1.00	3	SECOND FLOOR	1.00
4	THIRD FLOOR	1.00	1.00	1.00	4	1.00	4	THIRD FLOOR	1.00
5	FOURTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	5	1.00	5	FOURTH FLOOR	1.00
6	FIFTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	6	1.00	6	FIFTH FLOOR	1.00
7	SIXTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	7	1.00	7	SIXTH FLOOR	1.00
8	SEVENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	8	1.00	8	SEVENTH FLOOR	1.00
9	EIGHTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	9	1.00	9	EIGHTH FLOOR	1.00
10	NINTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	10	1.00	10	NINTH FLOOR	1.00
11	TENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	11	1.00	11	TENTH FLOOR	1.00
12	ELEVENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	12	1.00	12	ELEVENTH FLOOR	1.00
13	TWELFTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	13	1.00	13	TWELFTH FLOOR	1.00
14	THIRTEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	14	1.00	14	THIRTEENTH FLOOR	1.00
15	FOURTEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	15	1.00	15	FOURTEENTH FLOOR	1.00
16	FIFTEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	16	1.00	16	FIFTEENTH FLOOR	1.00
17	SIXTEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	17	1.00	17	SIXTEENTH FLOOR	1.00
18	SEVENTEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	18	1.00	18	SEVENTEENTH FLOOR	1.00
19	EIGHTEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	19	1.00	19	EIGHTEENTH FLOOR	1.00
20	NINETEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	20	1.00	20	NINETEENTH FLOOR	1.00
21	TWENTIETH FLOOR	1.00	1.00	1.00	21	1.00	21	TWENTIETH FLOOR	1.00
22	TOTAL				22		22	TOTAL	

AREA CALCULATION									
SL. NO.	ITEM	WIDTH	DEPTH	AREA (SQ.M)	NO.	AREA (SQ.M)	SL. NO.	ITEM	WIDTH
1	GROUND FLOOR	1.00	1.00	1.00	1	1.00	1	GROUND FLOOR	1.00
2	FIRST FLOOR	1.00	1.00	1.00	2	1.00	2	FIRST FLOOR	1.00
3	SECOND FLOOR	1.00	1.00	1.00	3	1.00	3	SECOND FLOOR	1.00
4	THIRD FLOOR	1.00	1.00	1.00	4	1.00	4	THIRD FLOOR	1.00
5	FOURTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	5	1.00	5	FOURTH FLOOR	1.00
6	FIFTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	6	1.00	6	FIFTH FLOOR	1.00
7	SIXTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	7	1.00	7	SIXTH FLOOR	1.00
8	SEVENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	8	1.00	8	SEVENTH FLOOR	1.00
9	EIGHTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	9	1.00	9	EIGHTH FLOOR	1.00
10	NINTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	10	1.00	10	NINTH FLOOR	1.00
11	TENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	11	1.00	11	TENTH FLOOR	1.00
12	ELEVENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	12	1.00	12	ELEVENTH FLOOR	1.00
13	TWELFTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	13	1.00	13	TWELFTH FLOOR	1.00
14	THIRTEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	14	1.00	14	THIRTEENTH FLOOR	1.00
15	FOURTEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	15	1.00	15	FOURTEENTH FLOOR	1.00
16	FIFTEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	16	1.00	16	FIFTEENTH FLOOR	1.00
17	SIXTEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	17	1.00	17	SIXTEENTH FLOOR	1.00
18	SEVENTEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	18	1.00	18	SEVENTEENTH FLOOR	1.00
19	EIGHTEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	19	1.00	19	EIGHTEENTH FLOOR	1.00
20	NINETEENTH FLOOR	1.00	1.00	1.00	20	1.00	20	NINETEENTH FLOOR	1.00
21	TWENTIETH FLOOR	1.00	1.00	1.00	21	1.00	21	TWENTIETH FLOOR	1.00
22	TOTAL				22		22	TOTAL	

OPENING SCHEDULE				
MARK	WIDTH	SILL	LINTEL	
D1	1000	---	2100	
D2	900	---	2100	
D3	750	---	2100	
D4	1800	900	2400	
D5	750	900	2400	
D6	800	1050	2400	
D7	600	600	2400	

LIG UNIT PLAN (TYPE-1)



- 1) BUILT UP AREA = 45.27 SQMT.
2) BALCONY = 2.18/2 = 1.09 SQMT.
3) PASSAGE, STAIRCASE & MUNIT = 5.84 SQMT.
4) SUPER BUILT UP AREA = 50.02 SQMT./ 538.21 SQFT.
5) CARPET AREA = 34.97 SQMT./ 376.27 SQFT.

PROJECT
**PROPOSED BUILDING PLAN OF CM JAN
AWAS GROUP HOUSING PROJECT AT
KHASRA NO. - 67⁸³³, 68 VILLAGE - KOLILA
SANGA, TEH. NEEMRANA, DISTT. ALWAR
(RAJ)**

BLOCK L-01
**FLOOR PLANS, ELEVATIONS,
SECTIONS AND AREA DAIGRAM**

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt.13.12.17.
One Set of Building Plans
Approved is issued Along With
Letter No. 9433/118 Dt. 6.02.18.

SHEET NO

02/08

drn. : date :
01-09-2017

dlt. : scale :
1 : 100

Signature of Owner Signature of Architect

For Labana Developers Ltd.

For Shilpa Architects
Ar. Shailendra Singh Sar,
B-Arch, M.C.A., FIA, FIV, A.
Regd. Archt.
COA No.-43675

अनुमोदित

नगर विकास ब्यास, मिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अथवा नो वि० ब्यास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास ब्यास, मिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
दिशा निर्देशों के अनुसार वर्णजल
संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अथवा नो वि०
ब्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं जल, भल, निफल
आदि श्रम आदि सेवाये नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों
नुसार किया जावेगा।

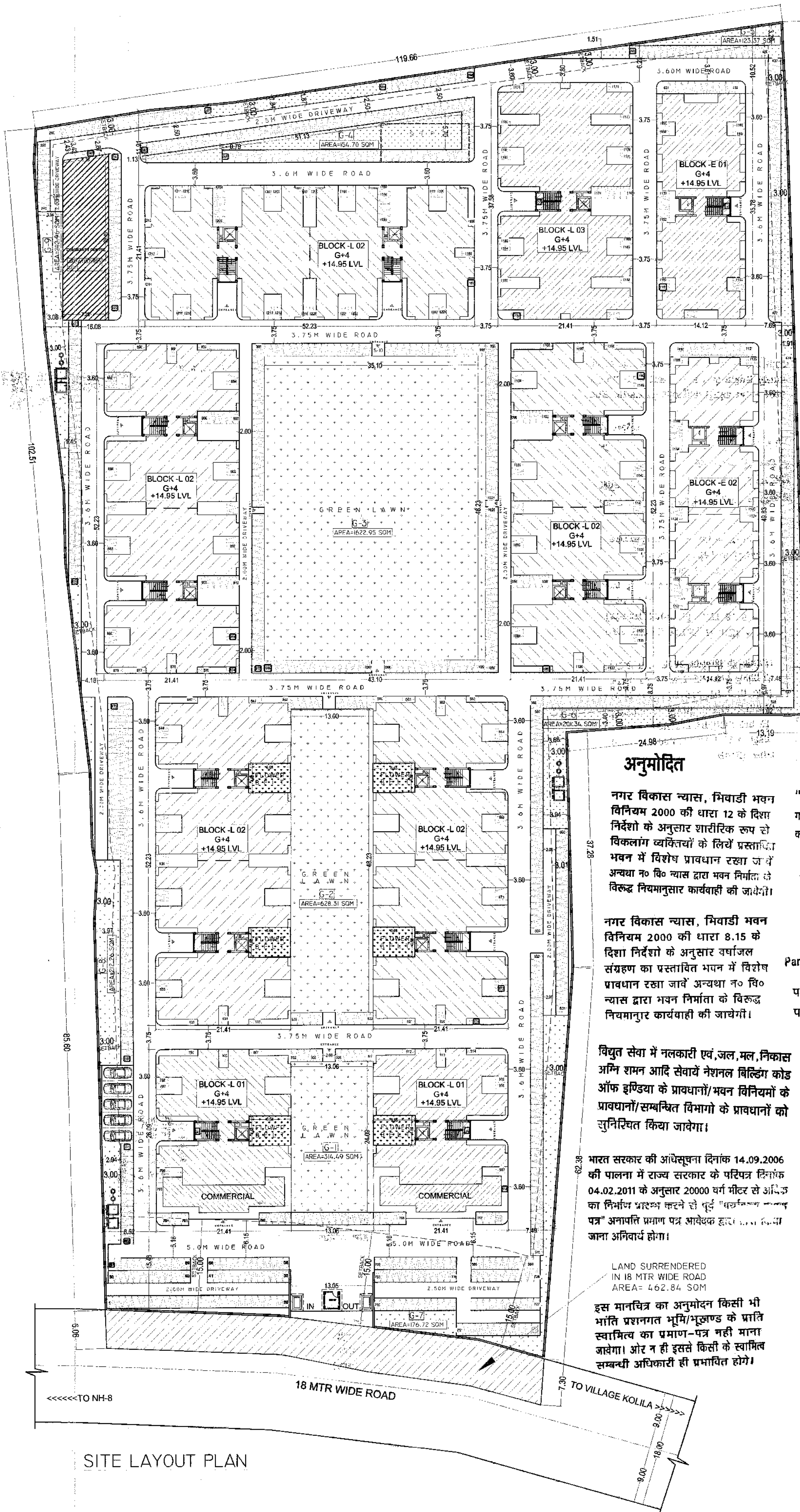
भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की पालना में राज्य सरकार के परिच्छेद विनियम
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर के अक्षेत्र
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण
पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा भरने
जाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भारति प्रशासनिक भूमि/भूखण्ड के प्राति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। और न ही इससे किसी के स्थामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगा।

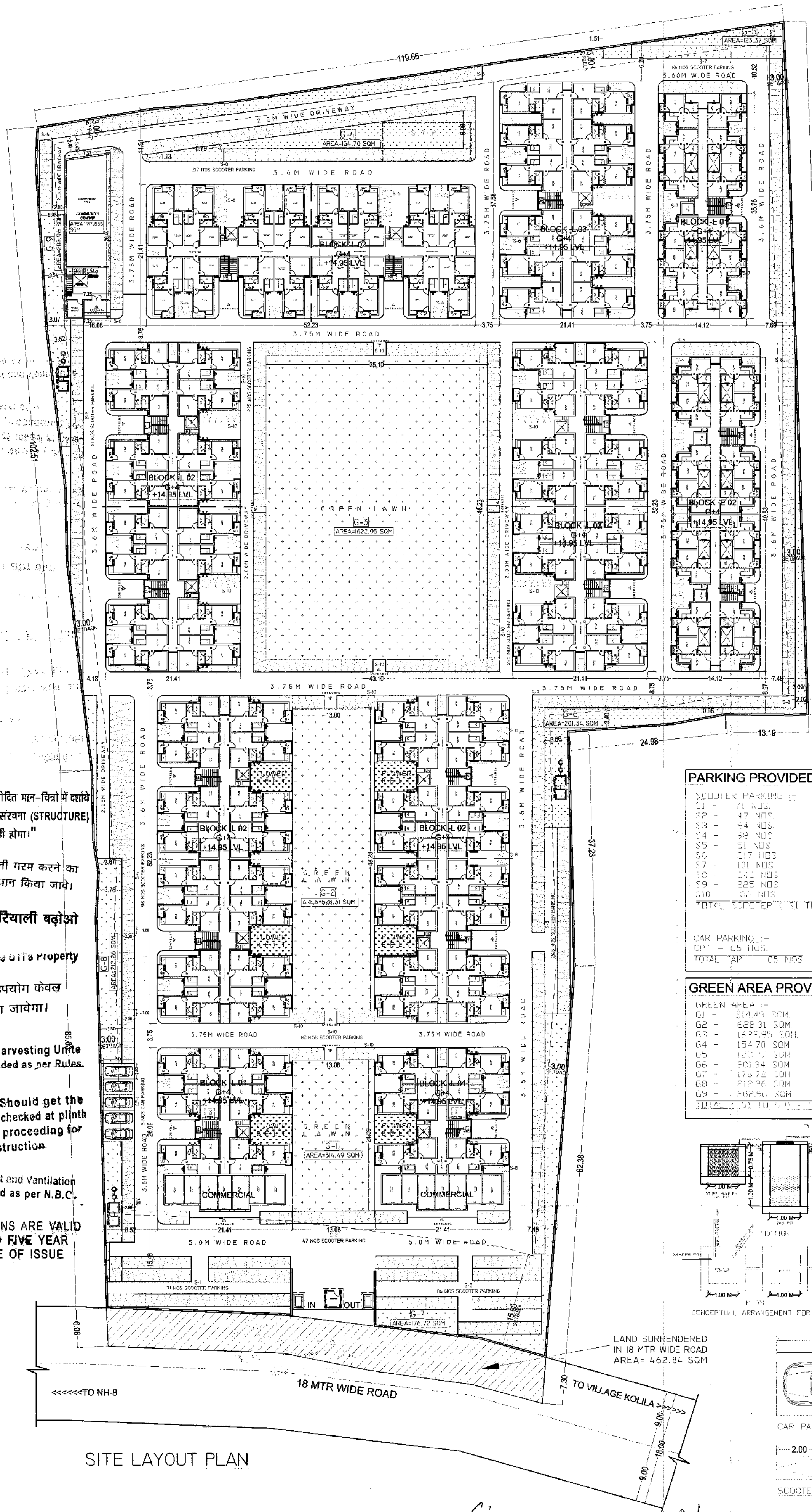
"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दस्तावे
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास ब्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास ब्यास
मिवाडी (अलवर)



SITE LAYOUT PLAN



SITE LAYOUT PLAN

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के द्वारा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्यथा नो वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के द्वारा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्यथा नो वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "प्रारम्भिक नगर पत्र" अनामत प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा जमा अनिवार्य होगा।

LAND SURRENDERED IN 18 MTR WIDE ROAD AREA= 462.84 SQM
इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भूमि प्रशानगत भूमि/प्लॉट के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इसमें किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में स्थित गये भवन निर्माण को संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

सीर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Parking Area Will Be City's Property
पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Urge Shall be Provided as per Rules.

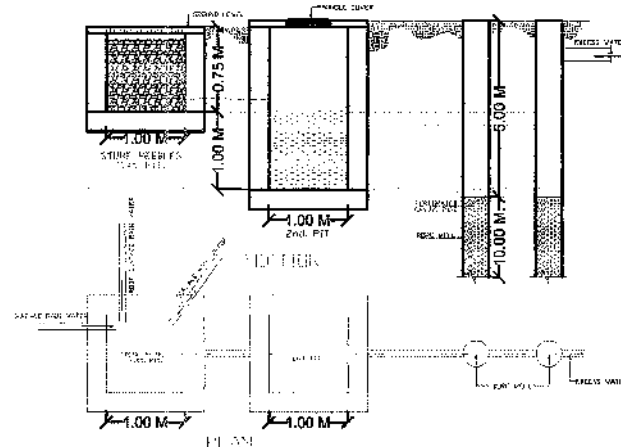
Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

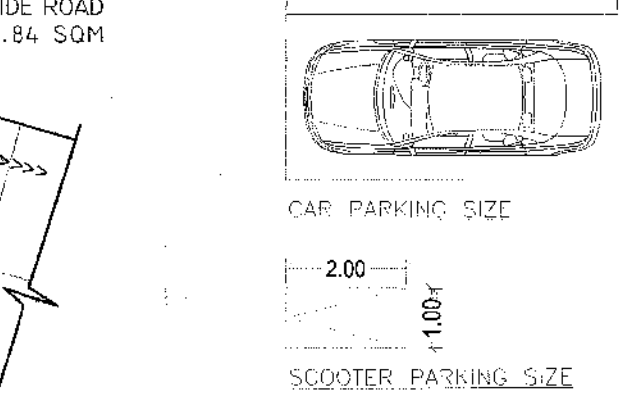
THESE PLANS ARE VALID ONLY UP TO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

PARKING PROVIDED	
SCOOTER PARKING :-	
01 - 71 NOS.	
02 - 47 NOS.	
03 - 94 NOS.	
04 - 99 NOS.	
05 - 51 NOS.	
06 - 17 NOS.	
07 - 101 NOS.	
08 - 512 NOS.	
09 - 285 NOS.	
10 - 28 NOS.	
TOTAL SCOOTER PARKING TO BE PROVIDED NOS.	
CAR PARKING :-	
01 - 05 NOS.	
TOTAL CAR PARKING TO BE PROVIDED NOS.	

GREEN AREA PROVIDED	
01 - 314.40 SQM	
02 - 628.31 SQM	
03 - 1492.44 SQM	
04 - 154.70 SQM	
05 - 143.11 SQM	
06 - 201.34 SQM	
07 - 172.00 SQM	
08 - 218.26 SQM	
09 - 206.90 SQM	
TOTAL GREEN AREA TO BE PROVIDED SQM	



LAND SURRENDERED IN 18 MTR WIDE ROAD AREA= 462.84 SQM



AREA DETAIL		TOTAL	
AS PER PERMISSIBLE BUILDING	20000.00	SQM	
TOTAL PLOT AREA (AS PER SURVEY REPORT)	15000.00	SQM	
AREA SURRENDERED IN 18 MTR WIDE ROAD	462.84	SQM	
NET PLOT AREA	14537.16	SQM	
GROUND COVERABLE PERMISSIBLE	50.00%		
GROUND COVERABLE ACHIEVED	75.26%		
FAR PERMISSIBLE @ 2.25	45128.55	SQM	
FAR ACHIEVED @ 1.9	4062.84	SQM	
TOTAL PERMISSIBLE FAR	49191.39	SQM	

BLOCKWISE AREA CALCULATION			
BLOCK	TYPICAL FLOOR BLOCKS	TOTAL BSA (SQM)	FAR (SQM)
L-01	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-02	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-03	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-04	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-05	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-06	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-07	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-08	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-09	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-10	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-11	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-12	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-13	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-14	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-15	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-16	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-17	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-18	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-19	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-20	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-21	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-22	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-23	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-24	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-25	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-26	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-27	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-28	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-29	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-30	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-31	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-32	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-33	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-34	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-35	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-36	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-37	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-38	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-39	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-40	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-41	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-42	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-43	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-44	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-45	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-46	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-47	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-48	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-49	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-50	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-51	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-52	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-53	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-54	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-55	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-56	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-57	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-58	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-59	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-60	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-61	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-62	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-63	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-64	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-65	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-66	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-67	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-68	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-69	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-70	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-71	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-72	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-73	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-74	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-75	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-76	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-77	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-78	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-79	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-80	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-81	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-82	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-83	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-84	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-85	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-86	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-87	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-88	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-89	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-90	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-91	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-92	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-93	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-94	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-95	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-96	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-97	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-98	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-99	300.00 x 1.00	300.00	300.00
L-100	300.00 x 1.00	300.00	300.00

COMMERCIAL FAR AREA		TOTAL:		206.00
				206.00

GROUND COVERAGE CALCULATION				
BLOCK	NOS OF BLOCK	PUNTH AREA	PUNTH AREA X NOS OF BLOCK	TOTAL
L-01	2	417.12	417.12 X 2	834.240
L-02	5	832.87	832.87 X 5	4164.350
L-03	1	615.45	615.45 X 1	615.320
L-04	1	402.33	402.33 X 1	402.380
L-05	1	571.61	571.61 X 1	571.600
L-06	1	377.05	377.05 X 1	377.850
TOTAL		16.00		6175.720